फोकस इण्डिया
प्रकाशन
अगस्त, 2018

एक विवादास्पद समझौता !

अनुबंध खेती और भारत के छोटे किसान

सहयोग
**रोज़ा लक्जमबर्ग स्टिफटुंग,
दक्षिण एशिया**

एक विवादास्पद समझौता !

अनुबंध खेती और भारत के छोटे किसान

FOCUS ON THE GLOBAL SOUTH

एक विवादास्पद समझौता !
अनुबंध खेती और भारत के छोटे किसान

ये पुस्तक “A Vexed Contract - contract farming and its implications on Small Scale Farming in India” का हिन्दी अनुवाद है।

लेखक : **पी.टी. जॉर्ज और अफ़सर जाफरी**

प्रकाशन : **अगस्त, 2018**

द्वारा प्रकाशित : और इस पुस्तिका की प्रतियां पाने के लिए संपर्क
फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ
33–डी, तीसरी मंजिल, विजय मंडल एनक्लेव
डी.डी.ए. एस.एफ.एस. फ्लैट्स, कालू सराय, हौज खास
नई दिल्ली–110016
टेलीफोन : 91–11–26563588, 41049021
http://focusweb.org/

सहयोग : **रोज़ा लक्जमबर्ग स्टिफटुंग, साउथ एशिया**
सी–15, दूसरी मंजिल, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया मार्केट,
नई दिल्ली–110016
www.rosalux-southasia.org

“Sponsored by the Rosa Luxemburg Foundation e.V. with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany.”
“Gefördert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V. aus Mitteln des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland”

आवरण फोटो साभार : सुरेश भाई देसाई

डिजाइन एवं मुद्रण : **इंडिगो**, 9313852068

इस पुस्तिका की विषयवस्तु का इस शर्त के साथ बिना–रोक टोक के पुनर्मुद्रण और उद्धृत किया जा सकता है कि इस स्रोत का उल्लेख किया जाए। फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ उस प्रकाशित सामग्री को पाने पर आभारी रहेगा, जिसमें इस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है।

यह एक अभियान प्रकाशन है और निजी वितररण के लिए है!

विषय सूचि

भूमिका 5

1. मॉडल ए.पी.एम.सी. (APMC) अधिनियम, 2003 7

2. अनुबंध खेती : परिभाषाएं 17

3. भारत में अनुबंध खेती : इतिहास और संरचना 21

4. अनुबंध खेती के लिए एफ.ए.ओ. (FAO) के दिशा–निर्देश 34

5. कृषि और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 37

6. अनुबंध खेती और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे 40

7. वित्तीय संस्थान और अनुबंध खेती 43

8. भारत में अनुबंध खेती के प्रभाव 50

9. भारत में अनुबंध खेती का विस्तार 57

10. विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अनुभव 60

परिशिष्ट 1 66

संदर्भ सूचि 71

भूमिका

भारत एक विकासशील देश है। यहां की आबादी 132 करोड़ है जिसमें से आधे से ज्यादा लोग निर्वाही खेती पर आश्रित हैं। इसलिए यहां के किसान और कृषि दोनों राजनीतिक अर्थशास्त्र के नजरिए से महत्वपूर्ण हैं। इसी निर्वाही खेती के इर्द–गिर्द हमारी खाद्य सुरक्षा और आजीविका की कहानी चलती है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी आबादी का अस्तित्व टिका हुआ है।

आज भारत में किसान और कृषि दोनों संकट के दौर से गुजर रहे हैं – थोड़ा सरकार की खराब नीतियों के कारण और थोड़ा जलवायु परिवर्तन तथा अन्य प्राकृतिक अनियमितताओं के कारण। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि कुल 12 करोड़ किसानों में से करीब 22 प्रतिशत और 14 करोड़ खेतिहर मजदूर आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

कृषि संकट से निपटने की जल्दीबाजी में सरकार कृषि नीतियों को बदलने के लिए तत्पर है और पूरे कृषि क्षेत्र को निजी कृषि–व्यापार कंपनियों के हाथों में सौंपने को तैयार है।

छोटी–बड़ी, सैकड़ों कृषि व्यापार कंपनियां अनुबंध खेती (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) में कूद पड़ी हैं। इस तरह वे किसानों को पारंपरिक कृषि से लगातार दूर करती जा रही हैं और उन्हें हाईटेक अनुबंध खेती की ओर खींच रही हैं। एक बार तो किसान भी विदेशी बाजार में बिकने वाली फसल उगाने के प्रलोभन में फंस जाते हैं। एक तरफ रोचक, आकर्षक योजनाएं हैं और दूसरी तरफ अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद – अतिरिक्त आमदनी के झांसे में आकर किसान अनुबंध खेती की ओर झुक जाते हैं। सरकार भी अनुबंध खेती को एक ऐसे विकल्प के रूप में पेश कर रही है, जिससे सारा कृषि संकट दूर हो जाएगा और किसानों की आमदनी देखते ही देखते दुगनी हो जाएगी। क्या सरकार यह कर पाने में कामयाब हो पाएगी या फिर यह भारत की कृषि के लिए और भी खतरनाक साबित होगा – यह देखना अभी बाकी है।

अनुबंध खेती का इस्तेमाल निजी कंपनियों द्वारा कृषि भूमि हड़पने की चाल के रूप में भी किया जा रहा है। नव–उदारवादी और पूंजीवादी नीतियों की वजह से कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारा धन संचित होता जा रहा है – इस प्रक्रिया को डेविड हार्वे (प्रसिद्ध अर्थशास्त्री) ने ''बेदखली द्वारा संचयन'' (Accumulation by Dispossesion) के नाम से परिभाषित किया है। निजी कंपनियां धीरे–धीरे किसानों से भूमि हड़पते जा रही हैं। अनुबंध खेती और छोटे किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ने की बात करना इसी साजिश का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से किसानों की जमीन पर निजी कंपनियां अपना अधिकार जता रही हैं।

बाजार और कीमतों के उतार–चढ़ाव से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए 'कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार' ने 'नीति आयोग' के साथ मिलकर कृषि सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उत्पादन और बिक्री के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है और किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। दरअसल, वर्ष 2017–2018 के अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्तीय मंत्री ने एक ''मॉडल अनुबंध खेती (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) कानून'' बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। 'नीति आयोग' के साथ मिलकर मंत्रालय पहले से ही ए.पी.एम.सी (APMC) कानून के एक नए प्रारूप के ऊपर काम

कर रहा है, जिसका उद्देश्य उत्पादक और खरीदार के बीच बिचौलियों और दलालों को हटाकर किसानों की आमदनी बढ़ाना है और उन्हें बेहतर कीमत सुनिश्चित करना है। इस कानून के माध्यम से अनुबंध खेती को सहज बनाने के लिए उसके रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को भी दूर किया जा रहा है। इसके पीछे की भावना एक ऐसी स्थिति पैदा करने की है जिसमें किसानों और कंपनियों दोनों को ही फायदा हो, अनुबंध खेती से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं का सही तरीके से निपटान किया जा सके, किसानों को उनके उत्पादन की तयशुदा कीमत मिल सके, उन्हें संसाधन प्रबंधन के बारे में उचित जानकारी मिल सके, इत्यादि।

अनुबंध खेती में सुधार लाने के सरकार के मौजूदा प्रयासों के मद्देनजर हमने भारत में मौजूदा अनुबंध खेती से जुड़े नियमों और कानूनों को टटोला और यह समझने की कोशिश की कि अनुबंध खेती से किसानों को कितना फायदा पहुंच रहा है। इस पुस्तिका में हम देखेंगे कि आम किसानों, विशेषरूप से छोटे किसानों के ऊपर अनुबंध खेती के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि –

अनुबंध खेती के फायदे और नुकसान क्या हैं?

कृषि के व्यवसायीकरण का निर्वाही खेती करने वाले छोटे किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा?

कृषि के व्यवसायीकरण का निर्वाही खेती करने वाले छोटे किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा?

भारत का मौजूदा कृषि संकट दूर करने में अनुबंध खेती कितना सक्षम है?

छोटे और सीमांत किसानों को अनुबंध खेती से दूर क्यों रखा जाता है?

अनुबंध खेती छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा?

फसलों की कीमत तय करते समय क्या कंपनीयां किसानों और उसके परिवारों की खाद्य और पोषण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखती हैं?

अनुबंध खेती की शर्तें क्या–क्या हैं और किन शर्तों का होना ज्यादा जरूरी है?

लम्बे समय में अनुबंध खेती का मिट्टी और पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा?

1. मॉडल ए.पी.एम.सी. (APMC) अधिनियम, 2003

अनुबंध खेती को वैद्यता प्रदान करने के लिए जो कानून बना है उसका नाम है – ''कृषि उत्पाद विपणन विनियमन (ए.पी.एम.सी) मॉडल अधिनियम, 2003'' – जिसे संक्षेप में 'ए.पी.एम.सी मॉडल एक्ट, 2003' भी कहा जाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए इस अधिनियम में कृषि बाजार में निजी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे दलालों और बिचौलियों को खत्म किया जा सके। ए.पी.एम.सी. मॉडल एक्ट, 2003 का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना है (जो सीधे कंपनियों को अपना उत्पादन बेच सकेंगे) और कंपनियों के लिए खरीद मूल्य को कम करना है (जो सीधे किसानों से कम कीमत पर कच्चा माल खरीद सकेंगे)।

वर्ष 2003 के पहले जब यह मॉडल एक्ट नहीं था तो किसानों से सीधे खरीदने की अनुमति नहीं थी और निजी (प्राईवेट) थोक बाजार या मण्डी बनाना भी ज्यादातर राज्यों में संभव नहीं था। इस वजह से स्थानीय व्यापारी अपना गुट/संघ बना लेते थे और जोड़–तोड़ करके खरीद मूल्य को कम रखते थे जिससे किसानों को हमेशा कम दाम मिलता था और वे नुकसान में रहते थे।[1]

अभी भी देश के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में आधारिक संरचना और किसानों के लिए बाजार की सुविधाओं की काफी कमी है। किसानों को अपना माल बेचने के लिए निकटवर्ती शहर तक की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। आसपास में बाजार न होने का फायदा बिचौलिये उठा लेते हैं। किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर वे उनके उत्पादों को सस्ते दामों में हड़प लेते हैं।

ग्रामीण कृषि आपूर्ति श्रृंखला में एक नहीं कई मध्यवर्ती संस्थाएं हैं जो आग में घी का काम करती हैं। बस किसानों को ही उनकी मेहनत का दाम नहीं मिल पाता, बाकी सभी मध्यवर्ती संस्थाएं अपना मुनाफा कमा लेती हैं। नीचे दिए गए चित्र में इसे दर्शाया गया है। ग्रामीण आधारिक संरचना न होने के कारण आपूर्ति श्रृंखला इतनी बड़ी हो जाती है और बीच में इतने ज्यादा घटक हो जाते हैं कि किसानों का हिस्सा लगातार सिकुड़ता जाता है।

चित्र 1 : कृषि आपूर्ति श्रृंखला

आधारिक संरचनाओं को सुधारना और सुनिश्चित करना सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है। इसलिए सरकार ने किसानों और निजी कंपनियों के बीच सीधे व्यापार को बढ़ावा देना तय किया है ताकि दलालों और बिचौलियों को हटाकर किसानों को बेहतर दाम दिलाया जा सके।

[1] *Arora, V.P.S.; Agricultural Policies in India: Retrospect and Prospect; Agricultural economics Research Review; Vol. 26, No. 2(July-December 2013): 135-157*

ए.पी.एम.सी अधिनियम, 2003 के उद्देश्य :

- ¿ प्रभावी विपणन प्रणाली का विकास
- ¿ कृषि में प्रसंस्करण एवं निर्यात को प्रोत्साहन
- ¿ कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए प्रभावी आधारिक संरचना तैयार करना और उसके लिए उपयुक्त प्रक्रिया एवं व्यवस्थाओं का निर्धारण
- ¿ मूल्य / कीमत निर्धारण प्रणाली में पारदर्शिता
- ¿ किसानों के लिए बाजार आधारित समाधान उपलब्ध कराना
- ¿ उसी दिन भुगतान सुनिश्चित करना
- ¿ ऐसी क्रियाओं / गतिविधियों को प्रोत्साहित करना जिससे कृषि उत्पादों में मूल्य वृद्धि हो सके
- ¿ कृषि में 'पब्लिक–प्राइवेट–पार्टनरशिप' को प्रोत्साहन
- ¿ अनुबंध खेती को समर्थन एवं प्रोत्साहन
- ¿ सभी कृषि प्रायोजकों, अनुबंध, विवाद निपटान इत्यादि का पंजीकरण जिससे उत्पादकों के हक की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हो सके
- ¿ अनुबंध खेती के तहत आने वाले उत्पादों के ऊपर बाजार शुल्क की छूट

1.1 ए.पी.एम.सी. मॉडल अधिनियम, 2003 से अनुबंध खेती के ऊपर प्रभाव

1.1.1 ए.पी.एम.सी. अधिनियम एवं उसकी भूमिका

ऐतिहासिक रूप से भारत में बाजार व्यवस्था पारंपरिक है जहां कृषि एवं पशु उत्पादों की बिक्री, कटाई के तुरंत बाद फसलों का बेचना, साप्ताहिक बाजार (जहां से ग्रामीण अक्सर कृषि उत्पाद, बीज, इत्यादि खरीदते हैं) इत्यादि इसकी विशेषताएं हैं। ग्रामीण परंपरागत बाजार का यह ढांचा तबसे बदलने लगा जब पहली बार वर्ष 1928 में रॉयल कमीशन ने पारंपरिक बाजार की समस्याओं को उजागर किया। इन समस्याओं में प्रमुख थीं – उच्च बाजार कीमत, अनाधिकृत कटौती, और भ्रष्टाचार। इस तरह पहली बार बाजार व्यवस्था के नियमन की जरूरत महसूस हुई।

एक विनियमित बाजार का लक्ष्य बाजार व्यवस्था के अंदर अस्वस्थ, अनैतिक प्रथाओं और भ्रष्टाचार को खत्म करना है। इसके साथ–साथ बाजार कीमत को कम करना और उत्पादकों एवं खरीदारों दोनों को फायदा पहुंचाना भी इसके उद्देश्यों में शामिल हैं।

कृषि उत्पाद विपणन समिति (ए.पी.एम.सी.) एक कानूनी निकाय है जिसे राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है जो विशिष्ट अधिसूचित कृषि, बागवानी और पशुपालन उत्पादों के व्यापार के लिए होता है।

1960 और 1970 के दशक के दौरान कई राज्यों ने 'कृषि उत्पाद विपणन विनियमन अधिनियम (APMR Act)' का गठन किया, जिसके जरिए थोक बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार राज्यों को प्राप्त हुआ।

इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना था। यह APMR अधिनियम दो सिद्धांतों पर आधारित था :

क) यह सुनिश्चित करना कि बिचौलिये (या सूदखोर) किसानों का शोषण न कर सकें, जो किसानों को अपना उत्पाद बहुत कम दामों में बेचने के लिए मजबूर करते थे; और

ख) सभी खाद्य उत्पादों को पहले बाजार या मण्डी में लाया जाए और फिर बोली लगाकर उन्हें बेचा जाए।

इस अधिनियम में राज्य स्तर पर कृषि उत्पाद बाजार समिति के गठन का प्रावधान है जिसकी जिम्मेदारी कृषि बाजार के संचालन की है। इस समिति को बनाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य है कृषि उत्पादों का विनियमन यानी यह सुनिश्चित करना कि किसानों को पारदर्शी तरीके से उचित मूल्य प्राप्त हो। इस वक्त देश भर में करीब 7500 APMC द्वारा विनियमित बाजार/मण्डियां हैं। परंतु इनका काम संतोषजनक नहीं है। इन मण्डियों की बहुत आलोचना होती रहती है। आलोचना के कुछ बिन्दु इस प्रकार हैं :

- किसानों के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार का अभाव
- सीधी बिक्री और खुदरा व्यापार की संभावना का अभाव
- नए तरीकों और तकनीकों को ग्रहण करने में ज्यादा तत्पर न होना
- ये मण्डियां काफी पुराने ढर्रे पर काम कर रही हैं
- मण्डी के अधिकारियों का भ्रष्टाचार में लिप्त होना
- मण्डियों की मौजूदा व्यवस्था किसानों के पक्ष में नहीं है

1.1.2. पुराने ए.पी.एम.सी. मण्डियों की समस्याएं

पुरानी ए.पी.एम.सी. विनियमन व्यवस्था के कारण निजी कंपनियों और कृषि व्यापार संस्थाओं को होने वाली समस्याएं इस प्रकार हैं :

- निर्यातकों और कृषि व्यापार कंपनियों को किसानों से सीधे माल खरीदने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार यह कृषि उत्पादों के निर्यात और प्रसंस्करण को हतोत्साहित करता था।
- केवल राज्य सरकारें ही इन मण्डियों का गठन कर सकती थीं; निजी कंपनियों को मण्डी बनाने और मण्डियों की संरचना में निवेश करने की अनुमति नहीं थी।
- इस व्यवस्था में उत्पादक संघ के गठन को बढ़ावा मिलता था जो जाति विशेष या राजनीतिक गुटों से मिले हुए थे और मण्डी के अंदर कीमतों के उतार–चढ़ाव को नियंत्रित करते थे।
- बिचौलिये और दलाल प्रभावशाली रूप से किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक दीवार बन कर खड़े हो गए थे और खुले हाथ से मुनाफा बंटोर रहे थे।
- दलालों और कमीशन एजेंटों की बाढ़ आ गई थी जो मण्डियों के ऊपर कब्जा करने लगे थे। लाइसेंसधारी व्यापारियों का एकाधिकार बन गया था और उन्होंने नए व्यापारियों के प्रवेश को

करीब–करीब नामुमकिन बना दिया था।

- ¿ राज्य के अंदर मण्डियों के विखंडन से एक बाजार से दूसरे के बीच उत्पादों के मुक्त प्रवाह में रुकावट आ गई थी। कई तरह के मण्डी शुल्क मौजूद थे जिनके कारण उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ रही थीं पर किसानों को इसका कोई लाभ नहीं पहुंच रहा था।

इन्हीं समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए भारत सरकार ने एक कार्य दल (टास्क फोर्स) का गठन किया। इस दल ने एक नई प्रतिस्पर्धात्मक कृषि बाजार व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया जिसमें निजी और सहकारी क्षेत्र मिलकर सहभागी के रूप में कार्य कर सकें। इस दल ने सीधी बिक्री और अनुबंध खेती के प्रोत्साहन का भी सुझाव दिया, जहां किसान अनुबंध खेती के माध्यम से कंपनियों को सीधे अपना माल बेच सकेंगे।

इसलिए केन्द्र सरकार ने 2003 में ''कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, 2003'' का गठन किया और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वे इस नए कानून के अनुसार अपने यहां के कृषि मण्डी कानून में उपयुक्त बदलाव करें।

ए.पी.एम.सी. मॉडल अधिनियम, 2003 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- ¿ यह अधिनियम अनुबंध खेती को सहज बनाता है
- ¿ इसमें सड़ने वाले उत्पाद, जैसे – सब्जियां, फल इत्यादि के लिए भी मण्डी का प्रावधान है
- ¿ किसानों या निजी निकायों को भी मण्डी बनाने की अनुमति है
- ¿ एक इलाके में एक से ज्यादा मण्डी बनाने का प्रावधान है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को बेहतर मोलभाव के अवसर मिलेंगे
- ¿ इस अधिनियम में लाइसेंस संबंधी मानदंडों को आसान बनाया गया है। इससे किसान अपने उत्पादों को सीधे किसी प्रयोजक या ठेकेदार को बेच सकेंगे
- ¿ इसमें अधिसूचित कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए सिर्फ एक ही मण्डी शुल्क का प्रावधान है
- ¿ ए.पी.एम.सी. मण्डियों से प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल मण्डी की आधारिक संरचना को सुधारने के लिए किए जाने का प्रावधान है जिससे कृषि उत्पादों की बिक्री को और प्रभावी बनाया जा सके
- ¿ अनुबंध खेती का प्रोत्साहन : सभी प्रायोजकों (कंपनियों) का अनिवार्य पंजीकरण, अनुबंध खेती समझौतों का दस्तावेजीकरण और विवाद निपटान की व्यवस्था
- ¿ अनुबंध खेती के तहत आने वाले उत्पादों को मण्डी शुल्क की छूट

2003 में ए.पी.एम.सी. मॉडल अधिनियम के गठन के तुरंत बाद पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने बिना समय गंवाए अपने यहां के अधिनियमों को संशोधित कर दिया। पर कुछ राज्यों में अभी भी पुराने कानून चल रहे हैं। 2006 में बिहार सरकार ने तो अपने कानून को निरस्त ही कर दिया। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न राज्यों में ए.पी.एम.सी. मॉडल अधिनियम, 2003 की मौजूदा स्थिति का विवरण है :

तालिका 1 : राज्यवार कृषि मण्डियों में सुधार (ए.पी.एम.सी. अधिनियम) की स्थिति

क्रमांक	सुधारों की स्थिति	राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश
1.	राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जहां ए.पी.एम.सी. अधिनियम, 2003 को पूरी तरह से लागू किया गया है	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखण्ड
2.	राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जहां ए.पी.एम.सी. अधिनियम, 2003 को आंशिक रूप से लागू किया गया है	क) सीधे बिक्रीः दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब (अलग कानून) और चंडीगढ़ (केवल कागज में), पश्चिम बंगाल; ख) अनुबंध खेतीः मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, और चंडीगढ़ (बाजार शुल्क में छूट और केवल कागज में); ग) निजी मार्केट मण्डीः पंजाब, पश्चिम बंगाल, और चंडीगढ़
3.	राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जहां ए.पी.एम.सी. अधिनियम, 2003 शुरू से ही नहीं है (इसलिए सुधारों की जरूरत ही नहीं है)	बिहार (1 सितंबर 2006 को इस कानून को निरस्त कर दिया गया), केरल, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप
4.	राज्य जहां के ए.पी.एम.सी. अधिनियम में पहले से ही इन सुधारों का प्रावधान है	तमिलनाडु
5.	राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जहां अभी तक सुधारों की शुरुआत नहीं हुई है	मेघालय, जम्मू और कश्मीर, पांडिचेरी, और उत्तर प्रदेश

इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में ए.पी.एम.सी. अधिनियम है ही नहीं और कुछ राज्यों ने इसे आंशिक रूप से लागू किया है। उदाहरण के लिए कर्नाटक मॉडल में एकल लाइसेंस व्यवस्था का प्रावधान है। यहां स्वचलित नीलामी (automated auction) और नीलामी के बाद की सुविधाओं के साथ—साथ गोदाम आधारित बिक्री, उत्पाद फंडिंग, कीमतों का प्रचार, और मण्डी की आधारिक संरचना में निजी क्षेत्र के निवेश का भी प्रावधान है।

कृषि उत्पाद की बिक्री में शामिल प्रमुख संस्थान इस प्रकार हैं—

- कर्नाटक राज्य कृषि मण्डी मंडल
- कृषि मराठावाहिनी

- मध्य प्रदेश राज्य कृषि मण्डी मंडल
- महाराष्ट्र राज्य कृषि मण्डी मंडल, पुणे
- मेघालय राज्य कृषि मण्डी मंडल
- उड़ीसा राज्य कृषि मण्डी मंडल, भुवनेश्वर
- पंजाब राज्य मण्डी मंडल
- पंजाब एग्रो फूडग्रेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (पी.ए.एफ.सी.)
- राजस्थान राज्य मण्डी मंडल
- आंध्र प्रदेश कृषि मण्डी मंडल
- घरेलू एवं निर्यात मण्डी इंटेलिजेंस सेल
- तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय और कृषि मण्डी मंडल
- हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि मण्डी मंडल

1.1.3. 'ए.पी.एम.सी. मॉडल अधिनियम, 2003' के साथ समस्याएं

इस अधिनियम में राष्ट्रीय कृषि मण्डी या राजकीय कृषि मण्डी का प्रावधान नहीं है; सारी मण्डियां स्थानीय स्तर पर बनाई जाती हैं। इस अधिनियम के तहत अभी भी खरीदारों को मण्डी शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। निजी क्षेत्र द्वारा मण्डियों के गठन के प्रावधान से भी कोई खास प्रतिस्पर्धा की शुरुआत नहीं हुई है। क्योंकि निजी मण्डी स्वामियों को यहां किसानों से दोहरा शुल्क लेना पड़ता है – एक तो ए.पी.एम.सी. के लिए और दूसरा मण्डी के लिए।

आर्थिक सर्वेक्षण 2014–2015 में कृषि उत्पादों के लिए राष्ट्रीय सामान्य मण्डी के गठन का सुझावः

आर्थिक सर्वेक्षण 2014–2015 में एक राष्ट्रीय कृषि मण्डी की जरूरत के ऊपर जोर डाला गया है (2014–15 की बजट घोषणा के अनुसार)। इस सर्वेक्षण में इस तरह की राष्ट्रीय मण्डी के गठन के लिए आवश्यक प्रयासों का भी जिक्र है।

क) सभी राज्यों को अपने मण्डी द्वारा स्वीकृत उत्पादों की सूची में से फलों और सब्जियों को हटा देना चाहिए

ख) राज्य सरकारों को निजी क्षेत्र में वैकल्पिक या विशेष मण्डियों के लिए नीतिगत समर्थन प्रदान करना चाहिए

ग) मण्डियों की आधारिक संरचना को सुधारने के लिए और मौजूदा खाद्य श्रृंखला में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए खुदरा बाजार में 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (FDI) के उदारीकरण से नई संभावनाएं पैदा करना चाहिए

घ) संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करके कृषि उत्पादों के लिए राष्ट्रीय सामान्य मण्डी का गठन किया जाना चाहिए

ङ) कृषि उत्पादों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय मण्डी का गठन होना चाहिए और मौजूदा ए.पी.एम.सी. मण्डियों को कई विकल्पों में से एक के रूप में देखा जाना चाहिए जहां किसान अगर चाहें तो अपनी उपज बेच सकते हैं।

1.2 राष्ट्रीय कृषि बाजार (NAM)

केंद्रीय बजट 2014–15 और 2015–16 ने 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' (National Agricultural Market – NAM) के गठन को प्राथमिकता दिए जाने का सुझाव दिया था। इस पर अमल करते हुए 2 जुलाई 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना का एक प्रारूप भी तैयार किया।

¿ 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' (जिसे संक्षेप में 'नाम' भी कहा जाता है) की परिकल्पना अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में की गई है, जो कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण के लिए मौजूदा ए.पी.एम.सी मण्डियों तथा अन्य मण्डियों के बीच एक नेटवर्क तैयार करेगा।

¿ 'नाम', मुख्य रूप से एक ऑनलाइन (इंटरनेट पर चलने वाला) बाजार है, परंतु इसका एक भौतिक बाजार (मण्डी) भी होगा।

¿ 'नाम' एक सामान्य इंटरनेट प्लेटफार्म है, जिसके साथ शुरुआत में राज्यों द्वारा चुने गए केवल 585 ए.पी.एम.सी. मण्डियों को ही जोड़ा जाएगा।

¿ केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मुफ्त में इसका सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाएगा।

¿ उपकरणों और आधारिक संरचना से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक मण्डी को एकमुश्त 30 लाख रुपये तक का शुरुआती अनुदान दिया जाएगा।

¿ सही मूल्य पता लगाने के लिए यह प्रस्तावित किया गया है कि निजी मण्डियों को भी सरकार मुफ्त में सॉफ्टवेयर प्रदान करेगी। इसके अलावा कोई और आर्थिक अनुदान उन्हें नहीं दिया जाएगा।

¿ राज्य कृषि विपणन मंडल द्वारा इंटरनेट व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए इच्छुक राज्यों को अपने यहां के ए.पी.एम.सी. कानून में उपयुक्त बदलाव करने होंगे

¿ मण्डियों के अंदर कोई दुकान न होने पर भी व्यापारियों, खरीदारों और कमीशन एजेंटों को उदारतापूर्वक लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।

¿ व्यापारियों के लिए एकल लाइसेंस का प्रावधान है, जो राज्य के सभी मण्डियों में वैद्य होगा।

¿ कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का समानीकरण एवं प्रत्येक मण्डी में गुणवत्ता परखने की सुविधा का प्रावधान किया जाएगा जिससे खरीदार जानकारी के साथ बोली (निलामी) प्रक्रिया में भाग ले सकें। अभी तक करीब 69 उत्पादों के लिए समान व्यापार योग्य मानकों को तैयार किया जा चुका है।

¿ मण्डी शुल्क की एकल उगाही, अर्थात् किसान से पहली बार में ही थोक खरीद के दौरान मण्डी शुल्क ले लिया जाएगा।

¿ चयनित मण्डियों में या उनके आसपास मृदा जांच प्रयोगशालाओं का प्रावधान होगा, जिससे मण्डी में आने वाले किसान इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

पंजाब ने 2013 में अनुबंध खेती के ऊपर एक अलग कानून बनाया है परंतु अभी उसे तक लागू नहीं किया गया है। पंजाब अनुबंध खेती अधिनियम के अंतर्गत, एक पंजीकृत खरीदार किसानों के साथ पहले से ही एक समझौता कर सकता है। यह समझौता कम से कम एक फसल मौसम के लिए हो सकता है या अधिकतम 3 साल के लिए। इसमें पूर्व निर्धारित समझौते के अनुसार फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के अनुसार विवाद निपटान की जिम्मेदारी जिला स्तर अधिकारी की होगी। इनमें से कई प्रावधानों को अनुबंध खेती के ऊपर बनाए गए नए मॉडल अधिनियम में भी शामिल करने के बारे में सोचा जा रहा है।

1.3. पंजाब अनुबंध खेती अधिनियम 2013

भारत में अनुबंध खेती को हरी झंडी दिखाने वाला सबसे पहला राज्य है पंजाब। वह इस बात का डंका भी बजा रहा है। इसके साथ–साथ पंजाब सरकार ने पिछले एक दशक में फसलों में विविधता बढ़ाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

इसके बावजूद पंजाब सरकार ने ए.पी.एम.सी. अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया है। दूसरी तरफ अप्रैल 2013 में पंजाब सरकार ने एक बिल पास करके ''पंजाब अनुबंध खेती अधिनियम, 2013'' का गठन किया। इस अधिनियम के मूल तत्व इस प्रकार हैं :

- किसी भी अनुबंध की अवधि एक फसल मौसम से लेकर 3 वर्ष तक की हो सकती है;
- इस अधिनियम के तहत कुल 108 फसलों को अधिसूचित किया गया है;
- खरीदारों को अनुबंध लेन–देन की रिपोर्ट को पंजीयन प्राधिकारी (registering authority) के साथ–साथ आयोग (commission) को भी जमा कराना होगा;
- खरीदार को पंजीयन प्राधिकारी (registering authority) के पास शुल्क जमा करके खुद को पंजीकृत करना होगा;
- खरीदार को उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करना होगा, जैसे – लागत सामग्रियां, भूमि उपयोग, तकनीकी सुझाव प्रदान करना, जिससे फसल के नुकसान की स्थिति में खरीदार को भी जवाबदेह ठहराया जा सके;
- किसानों द्वारा लिए गए अग्रिम राशि या ऋण को उनका उत्पाद बेचकर चुकाया जाए। कभी भी इसके लिए किसानों की भूमि न बेची जाए; न ही गिरवी रखी जाए और न पट्टे पर दी जाए;
- अधिनियम की उपयुक्त क्रियांवयन के लिए 'पंजाब अनुबंध खेती आयोग' के गठन की सिफारिश की गई है;
- राज्य सरकार इस आयोग को अधिनियम के उपयुक्त क्रियान्वयन से जुड़े निर्देश दे सकती है।

'पंजाब अनुबंध खेती अधिनियम, 2013' से जुड़ी समस्याएं

इस अधिनियम में यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से प्रावधान अनिवार्य हैं व कौन से स्वैच्छिक।

- अनुबंध खेती से जुड़ी बड़ी समस्याएं, जैसे–गुणवत्ता और कीमत निर्धारण से जुड़े विवाद, या उत्पादन व वितरण जोखिम में हिस्सेदारी इत्यादि – को यह अधिनियम हल कर पाने में नाकाम रहा है।

- ¿ इस अधिनियम में दिए गए उत्पादों की सूची अधूरी है। इसमें नकद फसल जैसे लहसुन, बेबी कॉर्न इत्यादि शामिल नहीं है, जिनमें इन दिनों सबसे ज्यादा अनुबंध खेती हो रही है।
- ¿ कृषि वानिकी (agro-forestry) में अनुबंध खेती के बारे में इस अधिनियम में स्पष्टता नहीं है – कृषि वानिकी के लिए 3–वर्षीय अनुबंध की अवधि बहुत कम है।
- ¿ इस अधिनियम ने 108 फसलों को अधिसूचित किया है। इसमें गन्ना के मूल्यवर्धित उत्पाद, जैसे – गुड़, शक्कर, खांडसारी भी शामिल हैं।
- ¿ गुजरात और हरियाणा की सरकार ने किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए ए.पी.एम.सी. अधिनियम को संशोधित किया है। पंजाब अनुबंध खेती अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं है।
- ¿ हरियाणा के अधिनियम के अनुसार अनुबंध में तय की गई कीमत कभी भी उस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं होगी। पर पंजाब के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह किसानों के पक्ष में नहीं है क्योंकि ऐसे में खरीदार अपनी मर्जी से कीमत तय कर सकेंगे।

1.4. नीति आयोग का ''मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016''

मुख्य बिंदु

1. गरीबी उन्मूलन, न्यायपरस्ता (equity) एवं कृषि दक्षता को बढ़ाने के लिए भूमि पट्टा को वैद्यता प्रदान करना। इससे कृषि में बेहद जरूरी उत्पादकता में सुधार आएगा, लोगों की व्यावसायिक गतिशीलता बढ़ेगी और ग्रामीण विकास में तेजी आएगी।
2. सभी क्षेत्रों में भूमि पट्टा प्रक्रिया को वैद्य बनाना जिससे भूमि धारकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके और साथ–साथ किरायेदारों को भी तयशुदा अवधि के लिए पट्टे की सुरक्षा प्रदान की जा सके।
3. पट्टी की अवधि समाप्त होने पर भूमि का अपने आप बहाल हो जाना; इसके लिए जरूरी नहीं है कि किराएदारों के लिए कोई न्यूनतम जमीन छोड़ी जाए जिसके प्रावधान कुछ राज्यों के कानून में है।
4. जमीन मालिक और किराएदार आपसी सहमति से पट्टे की सारी शर्तें तय करें, जिसमें न तो जमीन मालिक के अधिकारों का हनन हो और न ही किराएदार ऐसी कोई उम्मीद रखें कि उन्हें पट्टे वाली भूमि लगातार मिलती रहेगी।
5. सभी किरायेदारों को, जिसमें अधिया/बटैया पर खेती करने वाले भी शामिल हैं, अपेक्षित उत्पादन के एवज में बैंक क्रेडिट और बीमा की सुविधाएं प्राप्त हों।
6. किरायेदारों को भूमि सुधार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पट्टे की अवधि खत्म होने के बाद बचे हुए निवेश को प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिकृत किया जाए।

कृषि विपणन में सुधार के लिए नीति आयोग[2] की तरफ से राज्यों को सिफारिशें :

क) बाजार को उदार बनाने के लिए तत्काल मौजूदा नियमों में बदलाव किया जाए। किसानों को यह तय करने की आजादी हो कि वे अपना उत्पादन किसे, कहां और कैसे बेचना चाहते हैं।

---

[2] *The National Institution for Transforming India (also called NITI Aayog) replaced Planning Commission of India on January 1, 2015.*

ख) अन्य उत्पादों की तुलना में फल और सब्जियों के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए क्योंकि उनका उत्पादन कम मात्रा में होता है और वे कुछ दिनों में सड़ जाते हैं।

इन सिफारिशों में राष्ट्रीय बाजार के निमार्ण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी) के ऊपर भी काफी जोर दिया गया है, जिससे देशभर के किसानों को आपस में जुड़ी हुई मण्डियों का फायदा मिल सके।

कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक *(index)* **के संकेतक** *(indicators)*

विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार प्रयासों के ऊपर नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें राज्यों को उनके सुधार प्रयासों की संख्या के आधार पर श्रेणीबद्ध भी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार :

क) ए.पी.एम.सी मॉडल अधिनियम, 2003 में शामिल सात सुधारों का क्रियान्वयन, जैसे ई–नाम कार्यक्रम, फलों और सब्जियों का विशेष व्यवहार, पूरे राज्य के लिए एकल लाइसेंस, उत्पादकों द्वारा सीधी बिक्री और सीधा विवरण, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार इत्यादि।

ख) किसी जमीन को पट्टे पर देने और लेने से जुड़े प्रतिबंधों में छूट, किरायेदारी से संबंधित कानून में बदलाव और जमीन मालिकों के उदारीकरण का सुरक्षण।

ग) किसानों को छूट कि वे निजी भूमि पर उगे पेड़ों को गिरा सकें या उन्हें दूसरे स्थान पर लगा सकें। इससे कृषि व्यापार को विविध बनाने का अवसर प्राप्त होगा।

इन संकेतकों के आधार पर, नीति आयोग ने एक सूचकांक तैयार किया है और उसके आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को श्रेणीबद्ध किया है। इस सूचकांक को ''कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक'' कहा जाता है। इसका मान 0 से लेकर 100 तक हो सकता है। शून्य का अर्थ है कि कोई भी सुधार मौजूद नहीं है और 100 का मतलब है कि उस क्षेत्र के अंदर सभी सुधार हो चुके हैं। उदाहरण के लिए अनुबंध खेती की अधिसूचना के लिए भी एक अंक निर्धारित किया गया है, जो इससे तय होता है कि इसका फैलाव कितना है, अर्थात् अनुबंध खेती के तहत अधिसूचित फसलों की संख्या कितनी है। दूसरे शब्दों में अनुबंध खेती के तहत जितनी ज्यादा फसलों की संख्या होंगी उस राज्य को उतना ही बड़ा अंक दिया जाएगा।

2. अनुबंध खेती : परिभाषाएं

वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में भारत की कृषि उत्पादन व्यवस्था तेजी से बदल रही है। कई लोगों का यह दावा है कि फसलों से होने वाले फायदे को हम 'मूल्य संवर्धन' (value addition) की मदद से बढ़ा सकते हैं। कृषि उत्पादों का पैकेजिंग, प्रसंस्करण, ठंडा कर, सुखा कर, रस निचोड़ कर या अन्य प्रकार की प्रक्रियाओं की मदद से हम मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, जिससे वह अपने मूल प्राकृतिक स्वरूप से अलग हो जाता है।[3]

भारत में अब कृषि को एक व्यवसायिक नजरिए से देखा जा रहा है। भारत में मध्यम और बड़े किसानों का ध्यान अब निर्वाही खेती से हटकर निर्यात उन्मुख विकास की ओर जा रहा है, जिसे बाहरी निवेशक काफी प्रोत्साहित कर रहे हैं। अनुबंध खेती भारत में लंबे समय तक टिकने वाला है।

2.1. अनुबंध खेती क्यों?

कृषि क्षेत्र की सभी समस्याओं से निपटने के लिए अनुबंध खेती को एक रामबाण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन का अभाव है। कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए महंगी लागत सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ–साथ उन्नत फसलों की किस्में और उन्नत प्रौद्योगिकी की भी जरूरत होती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार के मानदंडों को हासिल किया जा सके। मूल्य संवर्धित कृषि को अगर बड़े पैमाने पर और बड़ी भूमि में किया जाए तो यह काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। पर भारतीय कृषि परिदृश्य में यह इतना भी आसान नहीं क्योंकि अन्य देशों के मुकाबले यहां के खेत छोटे और खंडित हैं।

भारत की कृषि जनगणना रिपोर्ट, 2010–11 के अनुसार 85 प्रतिशत से भी ज्यादा किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है। वे बहुत गरीब हैं और उनके पास संसाधनों और तकनीकों का अभाव है।[4] शायद यही वह प्रमुख वजह है जिसके कारण कृषि व्यापार कंपनियां अनुबंध खेती के लिए मध्यम और बड़े किसानों को पसंद करती हैं। सीमांत और निर्वाही खेती करने वाले किसानों को अनुबंध खेती से अलग रखा जाता है।

नीचे दी गई तालिका 2 में भारत के किसानों का उनके खेतों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है।

तालिका 2 : भारत में छोटे, मध्यम और बड़े किसान

विवरण	जोत की संख्या (1000 में)	जोत की संख्या (प्रतिशत में)	औसत (हेक्टेयर में)	संचालित क्षेत्र (1000 हेक्टेयर में)	संचालित क्षेत्र (प्रतिशत में)
सीमांत	92826	67.1	0.39	35908	22.5

[3] *Matthewson, Melissa, (2007). "Exploring Value-Added Agriculture". Small Farms, Oregon State University, Summer 2007. Vol. II No. 2. Retrieved 23 August 2017. http://smallfarms.oregonstate.edu/sfn/su07valueadded*

[4] *The government of India. (2014). All India Census 2010-11. All India Report on Number and Area of Operational Holdings. Agriculture Census Division Department of Agriculture & Co-Operation Ministry of Agriculture. Retrieved 6 September 2017. http://agcensus.nic.in/document/agcensus2010/completereport.pdf*

छोटे	24779	17.91	1.42	35244	22.08
अर्ध–माध्यम	13896	10.04	2.71	37705	23.63
माध्यम	5875	4.25	5.76	33828	21.2
बड़े	973	0.7	17.38	16907	10.59
सभी आकार	138348	100	1.15	159592	100

भारत में पट्टा कानून की वजह से निजी कंपनियां बड़ी जमीन नहीं खरीद सकती हैं, इसलिए ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वे बड़े पैमाने पर खेती भी नहीं कर पाती हैं। इसके तोड़ के रूप में ये कंपनियां अनुबंध खेती का सहारा ले रही हैं। इस तरह बिना जमीन के भी वे मनचाहे तरीके से और अपनी सामग्रियों और तकनीक से अपनी पसंद की फसल उगा सकती हैं।

अनुबंध खेती में किसान की तरफ से जमीन, श्रम (पशु ऊर्जा सहित), और पानी होता है। कटाई के बाद उत्पाद को अनुबंधीय कंपनी को दे दिया जाता है। यह कंपनी इस उत्पाद को अन्य प्रसंस्करण कंपनियों को बेच देती है। कुछ कंपनियां खुद ही इन उत्पादों का प्रसंस्करण करके सीधे निर्यात करती हैं। पहले मामले में कृषि व्यापार कंपनियां महज एक सूत्रधार की भूमिका निभाती हैं; और दूसरे मामले में वे सक्रिय और गहन रूप से निर्यात प्रक्रिया में शामिल होती हैं। इस प्रकार भारत में अनुबंध खेती की कृषि व्यवसायीकरण में एक बड़ी भूमिका है। इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

सैद्धांतिक रूप से तो यह सब ठीक लगता है परंतु व्यावहारिक पक्ष को जाने बगैर अनुबंध खेती के बारे में कोई धारणा बनाना सही नहीं होगा।

2.2. अनुबंध खेती की परिभाषा

अनुबंध खेती में दो पक्ष होते हैं – किसान (उत्पादक) और कंपनी (खरीदार)। कंपनियां किसानों को लागत सामग्रियां देती हैं, जैसे – बीज, खाद, कीटनाशक और तकनीकों के बारे में जानकारी इत्यादि और बदले में किसानों से उनके उत्पाद खरीदने का अधिकार प्राप्त कर लेती हैं। तकनीकी रूप से यह कृषि आपूर्ति श्रृंखला के अंदर एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर एकीकरण (vertical integration) है, जहां खरीदार का उत्पादन प्रक्रिया और अंतिम उत्पाद के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है।

¿ **ऊर्ध्वाधर एकीकरण** (vertical integration) एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक फसल की आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से खरीदार कंपनी के नियंत्रण में होती है। आमतौर पर आपूर्ति श्रृंखला में शामिल प्रत्येक सदस्य बाजार के लिए उत्पाद तैयार करता है या सेवा प्रदान करता है। इन उत्पादों और सेवाओं को मिलाकर एक सामान्य जरूरत पूरी की जाती है। अनुबंध खेती इस आपूर्ति श्रृंखला के अंदर एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर एकीकरण का काम करती है जिसमें कृषि, बागवानी, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन, इत्यादि कार्य खरीदार और उत्पादक के बीच एक समझौते (अनुबंध) के तहत किया जाता है। खरीदार हमेशा एक कॉरपोरेट या कंपनी होती है और उत्पादक के रूप में आमतौर पर मध्यम या बड़े किसान, उनका समूह या कोई उत्पादक सहकारी समिति हो सकती है। अनुबंघ खेती में उत्पादन का सारा नियंत्रण निजी कंपनी के हाथों में होता है।

- **अनुबंध** : जब एक किसान या उत्पादक अनुबंध खेती में शामिल होता है तो अधिकतर मामलों में खरीदार कंपनी तय करती है कि अपेक्षित उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा क्या होगी। खरीदार कंपनी ही उत्पाद की कीमत और उसकी डिलीवरी की रूपरेखा तय करती है। कई बार खरीदार कंपनियां अनुबंध में उत्पादन की स्थितियां, और किसानों द्वारा माल को कंपनी के अहाते तक पहुंचाने की शर्त भी जोड़ देती हैं। अनुबंध की शर्तों के अनुसार किसानों को पहले से तय गुणवत्ता और मात्रा में उत्पादन (फसल या पशुपालन) की आपूर्ति करनी होती है।

Vertical integration in Agriculture
Source : http://biubiu.ge/index.php?page=about_us&lang=english

- **उत्पाद की कीमत निर्धारण** : अनुबंध खेती में खरीदार कंपनियों को पहले से तय की गई कीमत में उत्पादों को खरीदना होता है। अक्सर अनुबंध की शर्तों के अनुसार कंपनियों को ही लागत सामग्रियां देना होता है। इसके अलावा उन्हें खेत तैयार करने में मदद, उत्पादन संबंधि जानकारी, और अंत में उत्पाद को अपने अहाते तक लाने में मदद भी करना होता है।

कई फसलों का उत्पादन अनुबंध खेती के माध्यम से हो रहा है। धान और मक्का जैसी प्रधान फसलें इसमें सबसे आगे हैं। कई जगहों पर जैविक खेती को भी अनुबंध खेती के माध्यम से किया जा रहा है। बागवानी, मुर्गी पालन और दुग्ध उत्पादन में भी अनुबंध खेती का विस्तार हो रहा है। इसके अलावा भारत में बीज उत्पादन (और उनके पेटेंट) के लिए बड़ी अंतरराष्ट्रीय बीज कंपनियां अनुबंध खेती की तरफ आकर्षित हो रही हैं।

अनुबंध खेती की कुछ प्रचलित परिभाषाएं इस प्रकार हैं :

1. पारी बाउमन (Pari Baumann)[5]
   - एक ऐसी व्यवस्था जिसमें खरीदार कंपनी निजी किसानों से उनकी फसल खरीदती हैं
   - फसल खरीद की शर्तें पहले से ही तय होती हैं
   - अनुबंध की शर्तों में अंतर हो सकता है; फसल की गुणवत्ता और कीमत पहले से तय होती है
   - लागत सामग्रियां और तकनीकी सलाह खरीदार प्रदान करता है
   - अनुबंध के माध्यम से किसान और कंपनी के बीच जोखिम का भी बंटवारा होता है, जहां उत्पादन से जुड़े सारे जोखिम (जैसे फसल नुकसान, गुणवत्ता हासिल करना) किसान के हिस्से आती हैं, वहीं विपणन संबंधी जोखिम (जैसे बाजार में फसल की कीमत) कंपनियों को उठाना पड़ता है

[5] *Baumann, P. (2000). Equity and efficiency in contract farming schemes: the experience of agricultural tree crops (Vol. 139). London: Overseas Development Institute.*

2. चार्ल्स ईटन और एंड्रयू डब्ल्यू- शेफर्ड (Charles Eaton and Andrew W. Shepherd)[6]

- ¿ किसानों और खरीदार कंपनियों के बीच फसल के उत्पादन और सप्लाई का एक समझौता जिसमें कीमतें पहले से तय हो जाती हैं
- ¿ खरीदार कंपनियों का उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग, जैसे लागत सामग्रियां और तकनीकी जानकारी प्रदान करना
- ¿ कंपनी द्वारा निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता के अनुसार किसानों द्वारा फसल उत्पादन
- ¿ फसल बेचने की जिम्मेदारी खरीदार कंपनियों की होती है।

3. सुखपाल सिंह (Sukhpal Singh)[7]

- ¿ किसान और कंपनी के बीच एक समझौता जिसमें किसान एक विशिष्ट समय, कीमत, मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर अपनी फसल कंपनी के हाथ सौंपता है
- ¿ खरीदार कंपनियां चाहें तो खेती का संचालन, देखरेख और नियंत्रण अपने पास रख सकती हैं

4. निगेल की और मैकडॉनल्ड (Nigel Key and MacDonald)[8]

- ¿ किसान और फसल खरीदार के बीच एक समझौता
- ¿ फसल खरीदार कंपनी फसलों को खेत से स्थानांतरित करने की शर्तें तय करती हैं
- ¿ खरीदार कंपनी ही डिलेवरी की तारीख, उत्पाद की कीमत और आवश्यक उत्पादन तरीकों को तय करती हैं

ऊपर दिए गए परिभाषाओं में हम देख सकते हैं कि अनुबंध खेती स्वतंत्र खेती और कॉरपोरेट खेती के बीच की एक व्यवस्था है। इसमें मुख्यतः 4 पहलू होते हैं : पूर्व निर्धारित कीमत, मात्रा, गुणवत्ता या उत्पादकता और समय।

भारत सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहां अनुबंध खेती की प्रचुर संभावनाएं दिखती हैं। हमारे कृषि क्षेत्र में निजी निवेश लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि अनुबंध खेती से बड़ा फायदा किसे पहुंच रहा है और क्या यह भारत को खाद्य सुरक्षा प्रदान कर पाएगा। किसानों को यह तय करना होगा कि वे अनुबंध खेती करना चाहते हैं या स्वतंत्र खेती। क्योंकि खेती की ऐसी पद्धतियां भी मौजूद हैं जिसमें पर्यावरण का नुकसान पहुंचाए बिना हम खेती कर सकते हैं। इसके अलावा खरीदार कंपनियों और किसानों को यह भी देखना होगा कि किन इलाकों में कौन सी फसलों को उगाया जाए ताकि वहां की स्थानीय, सामाजिक–आर्थिक स्थितियों और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव न पड़े।

---

[6] *Eaton, C., & Shepherd, A. W. (2001). Contract Farming: Partnership for Growth[PDF]. Rome: Food And Agricultural Organisation (FAO).*

[7] *Singh, S. (n.d.). Understanding Practice of Contract Farming in India: A Small Producer Perspective [PDF]. New Delhi: ICAR-National Institute of Agricultural Economics and Policy Research.*

[8] *Kumaravel, K. S. (2006). Contract Farming Concepts and Issues. In Contract Farming in India: An Introduction (pp. 3-17). Agartala, Tripura: Icfai University Press.*

3. भारत में अनुबंध खेती : इतिहास और संरचना

अनुबंध खेती की उत्पत्ति की कहानी हमें 1885 के ताइवान में ले जाती है जब जापानी औपनिवेशिक राज्य ने गन्ना खेती में ताइवानी किसानों के साथ एक अनुबंध किया था। बीसवीं शताब्दी के अंत तक अनुबंध खेती पूरे पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमेरिका और जापान में फैल चुकी थी।

भारत में अनुबंध खेती का इतिहास भी औपनिवेशिक काल से ही शुरू होता है, जब भारतीय किसानों ने इंग्लैंड की कंपनियों के लिए नील की खेती (Collin Indigo) की शुरुआत की। इसी समय में कई अन्य नकदी फसलों, जैसे – चाय, कॉफी, रबर और पोस्ता/अफीम (poppy) इत्यादि की खेती अनुबंध खेती के जागीर मॉडल के तहत हो रही थी। 1920 के दशक में भारतीय तंबाकू कंपनी (Indian Tobacco Company – ITC) ने आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में तंबाकू (वर्जीनिया टोबैको) में अनुबंध खेती की शुरुआत की। आई.टी.सी. ने एक बहुत ही निष्पक्ष अनुबंध खेती व्यवस्था की शुरुआत की थी, जो इस पूरे क्षेत्र में काफी लोकप्रिय था।

आजादी के बाद 1960 के दशक में धीरे–धीरे बीज कंपनियां उभरने लगीं। वे बीज उत्पादन के लिए किसानों को अनुबंध खेती से जोड़ने लगीं। इन बीज कंपनियों के पास कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए उनके पास अनुबंध खेती के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।

भारत में अनुबंध खेती के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण विमको (Wimco) कंपनी का है, जो स्वीडन की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। माचिस उद्योग में इसका बड़ा नाम है। इस कंपनी ने अनुबंध खेती के माध्यम से पूरे उत्तर भारत में पॉपलर (चिनार) के पेड़ों को लगाने की शुरुआत की।

वर्ष 1989 में 'पेप्सी–को' (पेप्सी फूड्स लिमिटेड) और 'निजर एग्रो फूड्स' ने पंजाब के होशियारपुर जिले में टमाटर की अनुबंध खेती की शुरुआत की। पेप्सी कंपनी ने ही भारत में कृषि प्रसंस्करण और अनुबंध खेती को इतना लोकप्रिय बनाया है। सही मायने में कहा जाए तो अनुबंध खेती की असल शुरुआत यहीं से होती है।

1990 के दशक तक अनुबंध खेती भारत के दूसरे इलाकों में भी फैल गया था। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्यों ने अनुबंध खेती में विशेष रुचि दिखाई और उन्होंने निजी कंपनियों और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के साथ व्यवसाय के लिए उपयुक्त नियमों का गठन किया। आज अनुबंध खेती भारत के अधिकांश इलाकों में फैल चुकी है। कई राज्य अपनी कृषि को बेहतर बनाने के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नए–नए तरीकों को अपनाकर इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं।

नकदी फसल और विदेशी फसलों के अलावा, यहां तक की धान, मक्का, गेहूं और जौ में भी बड़े जोर–शोर से अनुबंध खेती हो रही है। कई समझौते तो अब बहुत जटिल भी होते हैं, जिसमें कई विशेषीकृत एजेंसियां शामिल होती हैं जो किसानों और निजी कंपनियों के बीच कड़ी की भूमिका निभाती हैं।

भारत में अनुबंध खेती के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं:[9]

[9] *http://shodhganga.inflibnet.ac.in/gitstream/10603/87247/9/09_chapter%20%203.pdf*

समय	घटनाएं
1850—1860 का दशक	इंग्लैंड को कपास का निर्यात, जब अमेरिकी आपूर्ति बाधित हो गई थी
1860 का दशक	उत्तर पूर्व और दक्षिण की पहाड़ियों में चाय और कॉफी की बागवानी, मैदानों में नील और अफीम की खेती
1910	अनुबंध में शामिल किसानों का संकट और उपद्रव
1930 का दशक 1948—50	आंध्र प्रदेश में वर्जीनिया तंबाकू में अनुबंध खेती, महाराष्ट्र में गन्ना सहकारिता, और गुजरात में दुग्ध सहकारिता में अनुबंध खेती के बहुत सारे पहलुओं को शामिल किया गया
1950 का दशक	अनुबंध खेती पर आधारित बीज व्यापार की शुरुआत
1980 का दशक	अनुबंध खेती के जरिए पॉपुलर / छिनार की शुरुआत; टमाटर अनुबंध खेती भी
1990 का दशक	अनुबंध खेती के माध्यम से पंजाब में टमाटर की शुरुआत
1990 का दशक	बागवानी में अनुबंध खेती की शुरुआत के अनेक प्रयास जिनमें से ज्यादातर नाकाम
2000 का दशक	मध्यप्रदेश में गेहूं और पंजाब में फसल विविधीकरण के लिए अनुबंध खेती के कई प्रकारों की शुरुआत; विशेषीकृत अनुबंध खेती कंपनियों का उभार
2003—2004	कृषि सुधार के लिए अनुबंध खेती का नई नीतिगत ढ़ांचे के रूप में स्वीकृति
2004 के बाद	भारत के विभिन्न इलाकों में अनुबंध खेती का जोरदार फैलाव
2017	नया मॉडल ए.पी.एम.सी. अधिनियम, 2017 का गठन और 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' ('नाम') की स्थापना

3.1. अनुबंध खेती का वर्गीकरण

अनुबंध खेती में किसानों और कंपनियों के बीच मौखिक या लिखित समझौता होता है, जिसमें दो या दो से अधिक घटक शामिल हो सकते हैं और यह अहस्तांतरणीय (non-transferable) होता है।[10] इसमें खरीद, प्रसंस्करण, विपणन और व्यापार में इच्छुक कोई भी सरकारी या निजी कंपनी शामिल हो सकती है।

पिछले कई दशकों में कई प्रकार के अनुबंधीय मॉडल उभर कर आए हैं। अनुबंध खेती के मॉडल का चुनाव कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे — फसल का स्वभाव, मृदा स्थिति, पानी और सिंचाई संसाधनों की उपलब्धता, किसानों की जरूरतें, किसानों और कंपनी के बीच के संबंध इत्यादि। सही मॉडल को चुनाव कंपनियों के लिए हमेशा चुनौती भरा होता है। देश के विभिन्न इलाकों में अलग—अलग नामों से अनुबंध खेती के कई मॉडल मौजूद हैं। इनमें से सबसे प्रमुख पांच मॉडल के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे।

[10] *Glover D., Kusterer K. (1990) "Introduction. In: Small Farmers, Big Business". International Political Economy Series. Palgrave Macmillan, London. DOI https://doi.org/10.1007/978-1-349-11533-4_1*

3.2 अनुबंध खेती के मॉडल

ईटन और शेफर्ड (2001)[11] और बिजमान जोस (2008)[12] ने अनुबंध खेती को पांच अलग–अलग मॉडल में बांटा है। ये हैं – केंद्रीकृत मॉडल, बहुपक्षीय मॉडल, मध्यस्थ मॉडल, केंद्रक जागीर मॉडल, और अनौपचारिक मॉडल।

3.2.1. पहला मॉडल : केंद्रीकृत मॉडल / द्विपक्षीय मॉडल / प्रत्यक्ष खरीद मॉडल

पहला मॉडल केंद्रीकृत, द्विपक्षीय या प्रत्यक्ष खरीद मॉडल जैसे कई नामों से जाना जाता है। इसमें किसान और कंपनी के बीच में सीधे या प्रत्यक्ष समझौता होता है।

केंद्रीकृत अनुबंध खेती मॉडल को उत्कृष्ट माना गया है। इसमें आमतौर पर उच्च स्तरीय प्रसंस्करण वाले उत्पादों को शामिल किया जाता है, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना और कपास इत्यादि। इस मॉडल में ठेकेदार की भागीदारी का अलग–अलग स्तर हो सकता है–पूर्ण नियंत्रण से लेकर सीमित भागीदारी तक।

यह एक साधारण मॉडल है जहां किसान और कंपनी एक दूसरे के साथ सीधे खरीद में शामिल तो होते हैं परंतु दोनों ही घटक किसी भी कानूनी दायित्व या अन्य बंधन से मुक्त होते हैं। कई किसान इस मॉडल को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें उन्हें कंपनियों से लागत सामग्री और जरूरी सेवायें प्राप्त होती हैं और बदले में एक निश्चित कीमत पर कंपनी उनका माल खरीद लेती हैं। इसमें किसानों के पास यह भी विकल्प होता है कि वे अपनी लागत सामग्रियां किसी अन्य जगह से ले सकें और अपने उत्पाद को जहां चाहें वहां बेच सकें। भारत की कई बड़ी खुदरा व्यापार कंपनियां जैसे रिलायंस, फूड बाजार, स्पेंसर, इत्यादि इस मॉडल का अनुसरण करते हैं।

चित्र 2 : केंद्रीकृत मॉडल

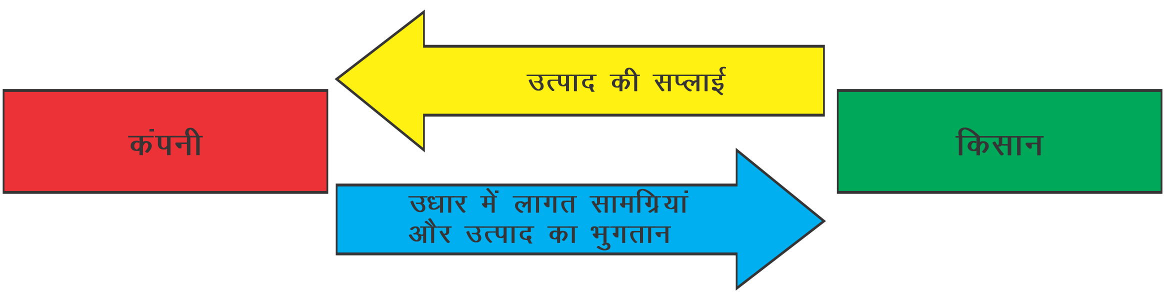

जब पंजाब में पेप्सी फुड्स कंपनी ने टमाटर की खेती में अनुबंध खेती की शुरुआत की तो उसने केंद्रीकृत मॉडल का ही अनुसरण किया था। बाद में इस कंपनी को एक दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया पर उसने भी इसी मॉडल को जारी रखा।

---

[11] *Eaton, C., & Shepherd, A. W. (2001). Contract Farming: Partnership for Growth[PDF]. Rome: Food And Agricultural Organisation (FAO).*

[12] *Bijman, Jos (May 2008). Contract Farming in Development Countries : An overview; http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.4868&rep=rep1&type=pdf*

3.2.2. दूसरा मॉडल : त्रिपक्षीय या बहुपक्षीय मॉडल

त्रिपक्षीय या बहुपक्षीय मॉडल की शुरुआत तब हुई जब किसान सहकारिता समितियों में संगठित हुए और जब वित्तीय संस्थान भी अनुबंधों में शामिल होने लगे। त्रिपक्षीय मॉडल में मध्यस्थ संस्थानों की भूमिका होती है जो किसानों और कंपनी के बीच में एक आदान–प्रदान का माध्यम बनते हैं। भारत में यह मॉडल काफी प्रचलित हुआ है। मध्यस्थता के रूप में कई बार किसी संयुक्त उद्यम कंपनी (joint venture company) के वैधानिक निकाय को भी शामिल किया जाता है। कई बार सरकारी और गैर–सरकारी संस्थानों को भी मध्यस्थ के रूप में रखा जाता है।

त्रिपक्षीय या बहुपक्षीय मॉडल में कई संगठन और कंपनियां शामिल होती हैं, जो किसान के साथ मिलकर काम करती हैं। इनमें से प्रत्येक की अपनी अलग–अलग भूमिका होती है, जैसे – ऋण, लागत सामग्री, मशीन, परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन इत्यादि।

चित्र 3 : त्रिपक्षीय मॉडल

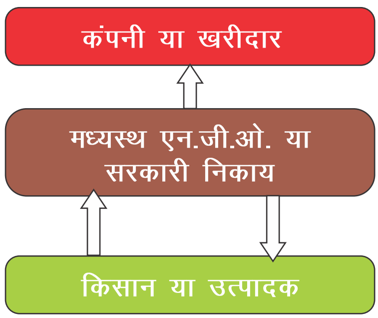

डाबर इंडिया लिमिटेड का अनुबंध खेती में प्रवेश बहुपक्षीय मॉडल का एक बेहतरीन उदाहरण है। इंडियन बैंक और अन्य संस्थानों के सहयोग से डाबर कंपनी ने भारत में औषधीय पौधों की अनुबंध खेती का बड़े स्तर पर विस्तार किया है। 2016 में यह कंपनी भारत के 8 राज्यों में करीब 2100 एकड़ में अनुबंध खेती कर रही थी। एक साल के अंदर यह इलाका बढ़कर 10 राज्यों में 3800 एकड़ हो गया।

कई अन्य कंपनियां भी इसी मॉडल का अनुसरण कर रही हैं। 'आयन एक्सचेंज इनवॉयरो फॉर्म्स लिमिटेड', एक ऐसी कंपनी है जिसकी विशेषता उत्पादन, प्रसंस्करण और जैविक खाद्य उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय विपणन में है। इस कंपनी ने 'सामुदायिक उत्पादक समूह' (कम्युनिटी ग्रोअर ग्रुप्स) के साथ इसी मॉडल के आधार पर अनुबंध खेती की शुरुआत की। इस समझौते में सामुदायिक उत्पादक समूह एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है।

सरकार नियंत्रित अनुबंध खेती में भी इसी मॉडल का उपयोग होता है। 'पंजाब एग्रो फुड ग्रेन कॉरपोरेशन (PAFC) के नाम से पंजाब में एक सरकारी कंपनी है। यह कंपनी दूसरे बीज कंपनियों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते में शामिल है। इस समझौते में PAFC की भूमिका कीमत तय करने की होती है।

3.2.3. तीसरा मॉडल : मध्यस्थ मॉडल

मध्यस्थ मॉडल में एक ठेकेदार (आमतौर पर एक व्यापारी या प्रसंस्करण निकाय) होता है जो किसी मध्यस्थ संस्था, जैसे – सहकारी समिति, एन.जी.ओ, या अन्य एक्सटेंशन संस्थानों इत्यादि के साथ औपचारिक रूप से

अनुबंध में शामिल होता है। दूसरी तरफ किसान इस मध्यस्थ संस्था के साथ अनुबंध में शामिल होते हैं। यह मॉडल त्रिपक्षीय मॉडल की ही तरह है बस फर्क इतना है कि इसमें अपनी कुछ जिम्मेदारियों और जोखिम को मध्यस्थ संस्थाओं के ऊपर डाल दिया जाता है, जैसे–किसानों का चयन और उनसे फसल की खरीद इत्यादि।

चित्र 4 : मध्यस्थ मॉडल

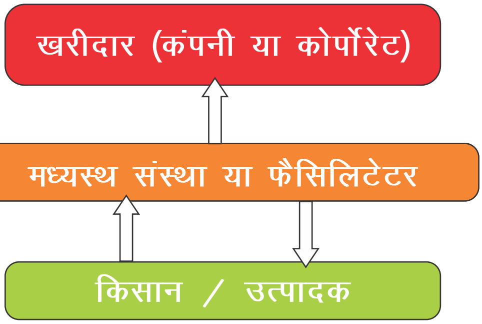

प्रसंस्कृत खाद्य व्यापार में शामिल 'हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड' ने 'रैलिस' (एक अन्य कंपनी) को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान की खरीद के लिए नियुक्त किया है। ज्यादातर काम, जैसे–किसानों का चयन, लागत सामग्रियों और एक्सटेंशन सेवाओं को उपलब्ध कराना, और फसल की खरीद इत्यादि रैलिस करती है।

इस तरह के मॉडल में खरीदार कंपनी का उत्पादन प्रक्रिया में कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसे पूरी तरह से मध्यस्थ संस्था देखती है, जिससे कभी–कभी भ्रष्टाचार की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और किसी–किसी मामले में गुणवत्ता से भी समझौता करना पड़ता है। कभी–कभी मध्यस्थ संस्था किसानों की ओर से कम कीमत पर उत्पाद बेचने का समझौता कर लेती हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है और उन्हें मौजूदा बाजार के दाम से कम कीमत पर अपना माल बेचना पड़ता है।

3.2.4. केंद्रक जागीर मॉडल (Nucleus estate model)

यह एक जटिल मॉडल है जिसमें ठेकेदार न सिर्फ किसानों से उत्पाद प्राप्त करता है बल्कि उत्पादन में शामिल भू–संपत्ति/जागीर की सीधे निगरानी भी करता है या उसका बंदोबस्त करता है। इस मॉडल का इस्तेमाल आम तौर पर उत्पादन प्रक्रिया के ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल शोध एवं प्रजनन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस तरह के मॉडल में उच्च स्तर की सामग्री और प्रबंधन सुविधाओं का प्रयोग होता है।

इसके पीछे की सोच यह है कि खरीदार अपनी खुद की जागीर में तो खेती करता ही है पर साथ में उत्पादन बढ़ाने के लिए वह अन्य किसानों के साथ भी अनुबंध खेती में शामिल होता है। ज्यादातर समय खरीदार खुद ही प्रसंस्करण भी करता है। यह अनुबंध खेती का एक प्रत्यक्ष और सीधा स्वरूप है जहां प्रायोजक कंपनी लागत सामग्रियां किसानों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

राजकीय विकास संस्थाएं, सरकारी या निजी खेती और प्राइवेट कॉरपोरेट क्षेत्र इस तरह की प्रायोजक कंपनियां हो सकती हैं। इस मॉडल का ज्यादातर इस्तेमाल वृक्षारोपण और ताड़ के बागान (ताड़ का तेल के लिए) इत्यादि में होता है।

3.2.5. पांचवा मॉडल : अनौपचारिक मॉडल

इसमें व्यक्तिगत उद्यमियों और छोटी कंपनियों के साथ अनुबंध किया जाता है जो अक्सर एक मौसम के लिए ही होता है। अनौपचारिक मॉडल में शामिल फसलों को ज्यादा लागत सामग्रियों या प्रसंस्करण की जरूरत नहीं पड़ती। यह आमतौर पर केवल बीज, थोड़ी खाद और थोड़ी–बहुत तकनीकी सलाह तक सीमित रहती है। इस मॉडल का प्रयोग ज्यादातर ताजे फल और सब्जियों में होता है।

इस मॉडल में शामिल फसलों में प्रसंस्करण की आवश्यकता बहुत कम होती है। कृषि व्यापार कंपनियां का लेना–देना मुख्य रूप से गुणवत्ता को लेकर होता है। इसलिए उनका ज्यादातर ध्यान केवल छँटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के ऊपर होता है। इसमें कंपनियों का खेती या किसानों के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। आमतौर पर अल्पकालिक फसलों, जैसे –सुपर मार्केट के लिए ताजी सब्जियों के मामले में इस मॉडल का उपयोग ज्यादा होता है। ये अनुबंध अल्पकालिक और अनौपचारिक होते हैं। कभी–कभी तो ये सिर्फ मौखिक ही होते हैं। लिखित में न होने के कारण इस प्रकार के अनुबंध में दोनों पक्ष की ओर से चूक की गुंजाइश बनी रहती है।

भारत जैसे बड़े देश में जहां अलग–अलग संस्कृति, जलवायु और मृदा स्थितियां और अनगिनत खेती पद्धतियां मौजूद हैं, यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि अनुबंध खेती का कौन सा मॉडल सही है। किसी एक क्षेत्र का मॉडल वहां उपलब्ध संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। मॉडल के चुनाव में किसानों के हित को ही सामने रखा जाना चाहिए। किसी भी अनुबंध मॉडल के लिए कुछ मूलभूत बातें इस प्रकार है :

- भरोसा, मोलभाव का उपयुक्त अवसर और निष्पक्ष शर्तें,
- आर्थिक व्यवहार्यता, खरीदारों और किसानों के लिए प्रोत्साहन (incentive),
- अनुबंध से जुड़े जोखिमों को कम करने की उचित व्यवस्था,
- तकनीकी हस्तांतरण, एक्सटेंशन और नवीनीकरण,
- स्थाई और पारदर्शी भूमि पट्टा कानून,
- अनुबंध खेती योजनाओं का उपयुक्त विश्लेषण, नियोजन और निगरानी

3.3. कृषि उत्पादन अनुबंध समझौते

कृषि में अनेकों अनिश्चिततायें जुड़ी हुई हैं जिनमें बाजार मूल्य काफी महत्वपूर्ण है। भारत में निर्वाही खेती करने वाले और सीमांत किसानों की सबसे बड़ी चिंता भी कटाई के समय फसलों के दाम में उतार–चढ़ाव की है। अनुबंध खेती में किसानों के उत्पादों की कीमत पहले से ही तय होती है। इसी करण से किसान अनुबंध खेती की तरफ झुक जाते हैं।

कृषि अनुबंध एक प्रकार का समझौता होता है जिसमें एक पक्ष समझौते में शामिल शर्तों के आधार पर किसी विशेष उत्पाद का बाजार में बेचने के लिए उत्पादन करता है। यह अनुबंध साधारण और सरल एक पेज का भी हो सकता है या विस्तृत कानूनी प्रावधानों के साथ बहुत मोटा भी हो सकता है। यह अनुबंध उत्पादक और खरीदार के बीच एक विशेष संबंध स्थापित करता है जिसमें दोनों के लिए इसकी शर्तें व नियमों को मानना अनिवार्य होता है।

कृषि व्यापार कंपनियों का अनुबंध खेती के साथ जुड़ने के पीछे की मुख्य वजहें इस प्रकार है :

गुणवत्ता नियंत्रण : अनुबंध की मदद से तकनीक के इस्तेमाल, उत्पादन पद्धति, लागत सामग्रियों के ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है जिससे उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके

पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन : कृषि प्रसंस्करण कंपनियों को एक निर्दिष्ट मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है जिससे वे अपनी कंपनी को सही तरीके से चला सके। अनुबंध खेती बहुत हद तक नियमित रूप से माल की आपूर्ति में मदद करती है। कंपनियां पहले से तय कर लेती हैं कि वे किसानों से कितनी मात्रा में माल खरीदेंगी।

तकनीक का इस्तेमाल : अनुबंध के माध्यम से नई तकनीकों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है, जैसे – बीज, खाद, रसायन और कीटनाशक, मशीनों का एक पूरे 'पैकेज' के रूप में। अनुबंध पर हस्ताक्षर करके किसान यह स्वीकार कर लेते हैं कि फसल उत्पादन में वे कंपनी द्वारा प्रदान की गई लागत सामग्रियों का ही इस्तेमाल करेंगे।

3.4. अनुबंध के प्रकार

अनुबंध खेती के लिए कंपनियां मुख्य रूप से दो प्रकार के अनुबंधों का इस्तेमाल करते हैं – उत्पादन अनुबंध और विपणन अनुबंध। इन दोनों अनुबंधों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

चित्र 5

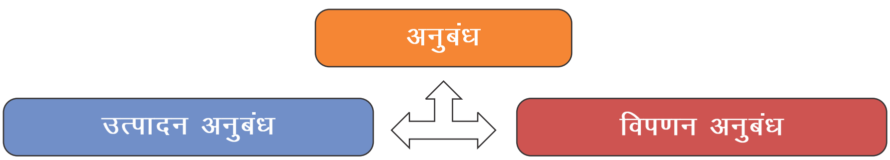

3.4.1. उत्पादन अनुबंध

- इसमें किसानों को किसी विशेष फसल या पशु पालन के लिए भुगतान किया जाता है।
- उत्पादन अनुबंध में खरीदार कंपनी का उत्पादन प्रक्रिया के ऊपर एक बड़ा नियंत्रण होता है। इसमें अधिकांश निर्णय कंपनियां लेती हैं; किसानों के पास ज्यादा अधिकार नहीं होते हैं।
- उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और गुणवत्ता के मानकों को कंपनी तय करती है।

पंजाब का एक खेत जहां बेबी–कॉर्न की खेती हो रही है

उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े निर्देश कंपनी देती है और किसानों को उन्हें मानना होता है।

¿ उत्पाद की कीमत से जुड़े बाजार के जोखिम ठेकेदार कंपनी के ऊपर चले जाते हैं।

उत्पादन अनुबंध के विभिन्न प्रकार :

चित्र 6

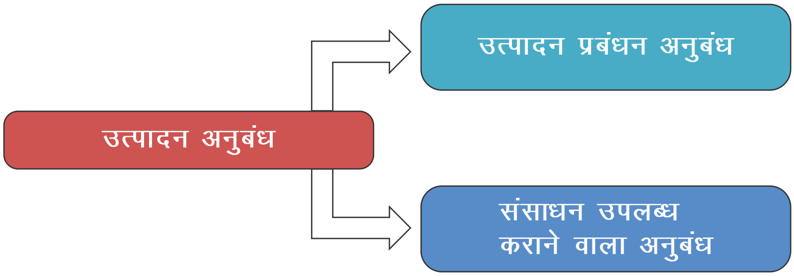

उत्पादन अनुबंध दो प्रकार के होते हैं :

क) उत्पादन प्रबंधन अनुबंध

¿ इस व्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया के ऊपर कंपनियों का पूरा नियंत्रण होता है;

¿ कंपनियों के इस नियंत्रण के कारण अच्छी गुणवत्ता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं;

¿ बाजार के जोखिम कंपनियां के ऊपर होते हैं पर फिर भी किसानों को कीमत से जुड़ी अनियमितता से जूझना पड़ता है क्योंकि अंतिम मूल्य फसल की गुणवत्ता के ऊपर निर्धारित होता है। इस प्रकार अगर अनुबंध के अनुसार फसल की गुणवत्ता सही नहीं है तो किसानों को उसकी कम कीमत मिलती है। इसके अलावा किसी आपदा के कारण अगर फसलों को नुकसान पहुंचे तो किसानों को कोई भुगतान नहीं होता है। इस प्रकार किसानों के साथ भी कई प्रकार के जोखिम जुड़े होते हैं;

¿ किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, वर्षा का न होना, इत्यादि से जुड़े जोखिम किसानों को उठाना पड़ता है;

¿ ऐसे अनुबंधों का प्रयोग सड़ जाने वाले उत्पादों, जैसे – सब्जियों के लिए ज्यादा होता है।

ख) संसाधन उपलब्ध कराने वाला अनुबंध

¿ इस प्रकार की व्यवस्था में खरीदार कंपनियों का उत्पादन प्रक्रिया में और भी ज्यादा नियंत्रण होता है (उत्पादन प्रबंधन अनुबंध से भी ज्यादा);

¿ अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेषीकृत लागत सामग्रियों और प्रबंधन नियंत्रण की आवश्यकता होती है;

¿ इस व्यवस्था में कंपनियां उत्पादन प्रक्रिया के हर एक चरण में निर्देश देती रहती हैं और किसान एक प्रकार से अपनी भूमि में मजदूर बनकर रह जाता है;

¿ इनका प्रयोग विशेष रूप से मुर्गी पालन में होता है, जहां अनुबंध में शामिल कंपनी लागत सामग्रियां और तकनीकी सलाह प्रदान करते हैं

- ¿ इसमें पूरे उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किसान की भूमिका महज एक अभिरक्षक बन कर रह जाती है; सारा नियंत्रण कंपनी के होथों में होता है।

3.4.2 विपणन अनुबंध

विपणन अनुबंध में उत्पादन से जुड़े निर्णय किसान खुद लेते हैं। कंपनियां केवल किसानों को बाजार का आश्वासन देती है। अनुबंध में एक निश्चित मात्रा और गुणवत्ता पहले से ही तय हो जाती है। किसान को इसी अनुसार उत्पादन करना होता है।

अनुबंध के फायदे

कृषि में अनुबंध के कुछ खास फायदे इस प्रकार हैं :

- ¿ किसानों को पहले से ही आवश्यक मात्रा और गुणवत्ता के बारे में पता चल जाता है;
- ¿ उत्पाद का ग्रेड और कीमत भी पहले से ही तय हो जाती है;
- ¿ आवश्यकता के अनुसार किसान अपनी फसल का प्रबंधन करते हैं;
- ¿ अनुबंध खेती की योजना बनाना आसान है;
- ¿ किसान को लागत पैकेज का भी लाभ मिलता है, जिसमें अक्सर उपयुक्त बीज, खाद, कृषि रसायन, मजदूरों का भुगतान इत्यादि के साथ–साथ एक्सटेंशन सहयोग भी शामिल होता है;
- ¿ कुछ अनुबंधों में माल या फसल को खेत से कंपनी के अहाते तक ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन का भी प्रावधान होता है।

अनुबंध खेती के नुकसान

फायदों के साथ–साथ अनुबंध खेती की कुछ सीमाएं भी हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- ¿ ठेकेदार कंपनियां आमतौर पर छोटे और सीमांत किसानों से दूरी बना कर रखती हैं। इस प्रकार सभी किसानों को अनुबंध का लाभ नहीं मिल पाता है;
- ¿ नष्ट होने वाले उत्पादों (जैसे सब्जियों) के लिए कंपनियां कुछ ही किसानों के ऊपर भरोसा कर पाती हैं;
- ¿ कृषि उत्पादन में अस्थिरता और कीमतों के उतार–चढ़ाव का प्रभाव कंपनी और किसान दोनों के ऊपर पड़ता है;
- ¿ कई बार किसानों की क्षमताएं और अनुबंध की प्रतिबद्धताओं में फर्क होता है, जिसका कंपनियों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;
- ¿ कई बार कंपनियां भुगतान में हेरा–फेरी करती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि किसान इतनी आसानी से मुकदमा नहीं करेंगे;
- ¿ देरी से भुगतानः अक्सर कंपनियां किसानों को देर से भुगतान करती हैं जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है;

- ¿ गुणवत्ता को कम करके आंकना: कंपनियां कभी–कभी जानबूझकर गुणवत्ता को कम करके आंकती हैं और इस बहाने किसानों को कम भुगतान करती हैं;
- ¿ कई बार अनुबंधों को बीच में ही खत्म/तोड़ दिया जाता है जिससे किसानों की उत्पादन व्यवस्था चरमरा जाती है।

3.5. अनुबंध खेती के घोषित लाभ

यह माना गया है कि अगर सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो अनुबंध खेती प्रभावी रूप से कृषि उत्पादन और विपणन को प्रोत्साहित कर सकती है। किसानों की आमदनी और कंपनियों की लाभप्रदता बढ़ाने में भी इसका योगदान हो सकता है। साथ ही इसकी मदद से कृषि में अनिश्चितताओं और जोखिमों को भी कम किया जा सकता है।

अनुबंध खेती के फायदे और किसानों को मिलने वाले लाभ का सीधा संबंध बाजार, पर्यावरण, मृदा स्थिति, राजनीतिक वातावरण के साथ है। अगर इनमें कोई बदलाव आए तो उसका सीधा असर किसानों के ऊपर पड़ता है।

किसानों के लिए घोषित लाभ[13] *:* किसानों के लिए अनुबंध खेती का सबसे पहला लाभ है उनके फसल की खरीद और निश्चित समय पर भुगतान की गारंटी। अनुबंध खेती की मदद से किसान बिचौलियों और दलालों के चंगुल से बच जाते हैं। दुनिया भर में अनुबंध खेती के ऊपर अध्ययन करने के बाद 'खाद्य एवं कृषि संस्थान' (Food and Agricultural Organisation – FAO) ने अनुबंध खेती से होने वाले फायदों का इस प्रकार उल्लेख किया है :

1. लागत सामग्री एवं उत्पादन सेवाओं का प्रावधान;
2. ऋण की उपलब्धता;
3. उपयुक्त तकनीक का इस्तेमाल;
4. कौशल हस्तांतरण;
5. निश्चित कीमत की गारंटी; और
6. विश्वसनीय बाजार तक पहुंच

3.5.1. लागत सामग्री एवं उत्पादन सेवाओं का प्रावधान

अनुबंध खेती के अंदर आमतौर पर बीज, खाद, कीटनाशक, इत्यादि के रूप में उत्पादन सहायता का प्रावधान होता है। फसल की अपेक्षित गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए कई खरीदार अतिरिक्त सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे समय–समय पर पानी डालने, खाद डालने, और निड़ाई संबंधी सलाह देना, कृषि विशेषज्ञों या एक्सटेंशन अधिकारियों का दौरा, किसानों का शिक्षण–प्रशिक्षण, इत्यादि।

किसानों को लागत सामग्रियां और उत्पादन सेवाएं उधार के रूप में दी जाती हैं। जब किसान अपने उत्पाद की सप्लाई कर देता है तो खरीदार कंपनी भुगतान करने से पहले इन सामग्रियों और सेवाओं के खर्च को

---

[13] *Adapted from Eaton, C., & Shepherd, A. W. (2001). PDF [CONTRACT FARMING Partnerships for growth]. Food And Agricultural Organisation (FAO).Retrieved 13 September 2017, from http://www.fao.org/docrep/004/y0937e/y0937e03.html*

काट लेती है। जिन किसानों के पास खेती के दौरान पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती है उनके लिए तो यह वरदान के समान है।

3.5.2. ऋण (क्रेडिट) की उपलब्धता

ग्रामीण इलाकों में किसानों के पास संस्थानिक ऋण की उपलब्धता न के बराबर होती है। ज्यादा जरूरत पड़ने पर किसानों को आमतौर पर स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, जो किसानों का भरपूर शोषण करते हैं। अनुबंध खेती के माध्यम से किसानों के पास उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। आजकल बैंक भी अनुबंध खेती में शामिल हो रहे हैं और कृषि व्यापार कंपनियों के साथ मिलकर किसानों को खेती के लिए कर्ज उपलब्ध करा रहे हैं।

3.5.3. उपयुक्त तकनीकों का इस्तेमाल

कई बार अनुबंध खेती में नई तकनीकों, मशीनों, औजारों और खेती के नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। साधारणतः ज्यादा कीमत होने के कारण किसान इन्हें हासिल कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। अनुबंध खेती में किसानों को यह सब असानी से उपलब्ध हो जाता है। खेती के बारे में उनके ज्ञान और क्षमता में भी वृद्धि होती है। खरीदारों को हमेशा उच्च गुणवत्ता और उच्च उत्पादकता चाहिए होती है। ये तभी संभव हो पाता है जब किसानों के पास उपयुक्त तकनीक और सही जानकारी उपलब्ध हो।

3.5.4. कौशल हस्तांतरण

अनुबंध खेती में भाग लेने से किसानों को कई नए कौशल सीखने का अवसर प्राप्त होता है, जैसे –

- हिसाब–किताब या रिकॉर्ड रखना, जो पारंपरिक किसान शायद ही कभी करते हैं
- खेत के संसाधनों का कुशल उपयोग
- रसायन और खाद डालने के उन्नत तरीके
- निर्यात बाजार की मांग और विशेषताओं के साथ–साथ गुणवत्ता के महत्व की समझ

एक्सटेंशन सेवा प्रदाता के सुझावों के माध्यम से किसानों का नया अनुभव प्राप्त होता है। वे बाजार की आधारिक संरचना और मानव पूंजी (human capital) में निवेश के बारे में भी सीखते हैं। इससे न सिर्फ खेती में बल्कि अन्य गतिविधियों में भी किसानों की क्षमता बढ़ जाती है। अनुबंध खेती से प्राप्त नई तकनीकों और जानकारी का इस्तेमाल किसान अन्य नकदी और निर्वाही फसलों के ऊपर भी करते हैं।

3.5.5. निश्चित कीमत की गारंटी

अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त करना किसानों के लिए हमेशा एक चिंता का विषय रहा है। बाजार की मौजूदा कीमतों के आधार पर उत्पादों के मूल्य में उतार–चढ़ाव होता रहता है। फसलों की बिक्री में हमेशा एक प्रकार की अनिश्चितता बनी रहती है। पर अनुबंध खेती में पहले से ही कीमत तय हो जाती है जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलती है।

3.5.6. विश्वसनीय बाजार तक पहुंच

पारंपरिक किसानों के लिए बाजार के सीमित अवसरों का लाभ उठा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए

इनके लिए अपनी खेती के तरीकों को बदलना या नई फसलों को लगाना इतना आसान नहीं हो पाता। अनुबंध खेती किसानों को अलग–अलग फसलों को परखने का अवसर प्रदान करती है। इसमें किसानों का नए खरीदारों का ढूंढने और मोलभाव करने की सिरदर्दी नहीं रहती।

3.6. निवेशकों और प्रायोजकों के लिए फायदे / लाभ

जैसे–जैसे अनुबंध खेती लोकप्रिय होती जा रही है, यह कृषि व्यापार कंपनियों का किसानों के साथ सीधे जुड़ने का एक पसंदीदा तरीका भी बनते जा रही है। जैसे–जैसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की मांग बढ़ रही है, वैसे–वैसे ज्यादा से ज्यादा कंपनियां अनुबंध खेती की ओर रुख कर रही हैं, जिससे शहरी मध्यमवर्ग की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। कृषि खुदरा व्यापार और प्रसंस्करण में लगातार व्यवसायिक निवेश बढ़ रहे हैं।

3.6.1. उत्पादन के ऊपर नियंत्रण एवं प्रभाव

पारंपरिक खेती से अलग जहां विधिपूर्वक वैज्ञानिक पद्धतियों का अनुसरण नहीं किया जाता है, अनुबंध खेती में उच्च तकनीकी औजारों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। वैसे भी अधिकतम गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया के ऊपर कड़ी पकड़ होना बहुत जरूरी है। कृषि व्यापार कंपनियां उत्पादन खर्च और लागत सामग्रियां, जैसे – मजदूर, प्रयोग होने वाले औजार इत्यादि, के ऊपर कड़ी निगरानी रखते हैं। उत्पादन में एकरूपता हासिल करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया के ऊपर कंपनियों का गहरा नियंत्रण होता है। उपभोक्ताओं की बढ़ती वरीयता को ध्यान में रखते हुए उत्पादों में तुरंत बदलाव लाकर सामंजस्य स्थापित करना होता है, जो पारंपरिक खेती में संभव नहीं हो पाता है। अनुबंध खेती किसानों को तुरंत नई स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढ़ालने के लिए तैयार रखती है।

भारत के करोड़ों छोटे किसानों के साथ जुड़ने में कृषि व्यापार कंपनियों को कई फायदे हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- प्रसंस्करण कंपनियों के लिए बिना रुकावट कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति
- बाजार की कीमतों में उतार–चढ़ाव से सुरक्षण
- दीर्घकालिक योजना बनाना संभव हो जाता है
- इस अवधारणा का अन्य फसलों में भी विस्तार किया जा सकता है
- दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का बनना
- आपूर्तिकर्ताओं का समर्पित आधार
- कंपनी की साख का बनना

3.6.2. राजनीतिक स्वीकार्यता

भूमि पट्टा कानून के कारण बड़ी कंपनियां किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाती। इसके अलावा 'उच्चतम भूमि सीमा अधिनियम' (Land Ceiling Act) भी कंपनियों को बड़ी तादाद में कृषि भूमि खरीदने से रोकता है। ऐसी स्थिति में कृषि व्यापार कंपनियों के पास केवल एक ही रास्ता बचता है और वह है कई

किसानों को एक साथ जोड़कर अनुबंध खेती करना ताकि बड़े पैमाने में उत्पादन किया जा सके। इसमें सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति भी शामिल है। अनुबंध खेती को एक उदारतापूर्ण कार्य के रूप में भी देखा जाता है, जो किसानों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद करती है।

3.6.3. जमीन की कमी को दूर करना

भारत में अधिकांश कृषि जमीन छोटे और सीमांत किसानों के पास है। ब्राजील, अमेरिका तथा अन्य देशों की तुलना में जहां विशाल खेत होते हैं, भारत में खेत छोटे–छोटे टुकड़ों में बंटे हुए हैं। इसके अलावा भारत में कोई एक व्यक्ति अत्यधिक भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में केवल अनुबंध खेती ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे कई छोटे किसानों की जमीनों को एकसाथ जोड़कर बड़े पैमाने पर खेती की जा सकती है। इस प्रकार अनुबंध खेती की मदद से कंपनी उस जमीन में फसल उत्पादन कर सकती है, जो अन्यथा उसके पास उपलब्ध नहीं हो सकती है। दरअसल, इसमें निजी कंपनियों का एक अतिरिक्त लाभ भी है – उन्हें अब जमीन खरीदने की जरूरत ही नहीं है।

दूसरी तरफ जमीनों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इन्हें हासिल करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में अनुबंध खेती प्रतिस्पर्धात्मक हो जाती है। विशेष रूप से उन फसलों के लिए जहां बड़े स्तर पर उत्पादन करने से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।

3.6.4. उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादन और जोखिम का बंटवारा

खेती एक जोखिम भरा कार्य है जो प्रकृति की अनियमितताओं के अधीन है। अनुबंध खेती किसानों और कंपनियों को उत्पादन में सम्मिलित जोखिम को समझने में सक्षम बनाता है। अनुबंध के अंदर इन जोखिमों को आपस में बांट लिया जाता है। किसान या कंपनी द्वारा समझौते की शर्तों को पालन न करना भी जोखिम है, जो कई बार अनुबंध खेती में दिख जाता है। काम करते–करते कंपनी और किसानों के बीच धीरे–धीरे विश्वास बढ़ता जाता है। इस प्रकार उत्पादन से जुड़े जोखिमों को बांटने की क्षमता भी बढ़ती जाती है।

3.6.5. गुणवत्ता की स्थिरता

निर्यात के लिए या सुपरमार्केट में वितरण के लिए ठेकेदार कंपनियां उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की मांग करते हैं। उपभोक्ता भी अब खाद्य जरूरतों के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। वे भी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की मांग करने लगे हैं। इसलिए अनुबंध खेती में उत्पादन के दौरान गुणवत्ता के ऊपर खास ध्यान रखा जाता है। उत्पादन की गुणवत्ता में स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्पादन प्रक्रिया के ऊपर कंपनियों की कड़ी निगरानी और पूरा नियंत्रण होता है।

4. अनुबंध खेती के लिए एफ.ए.ओ. (FAO) के दिशा–निर्देश

अनुबंध खेती के लिए संयुक्त राष्ट्र की 'खाद्य और कृषि संस्थान' (एफ.ए.ओ.) ने कुछ दिशा–निर्देश[14] जारी किये हैं, जिससे किसानों और खरीदारों का मार्गदर्शन किया जा सके। आपसी भरोसा, आदर–सम्मान का वातावरण, और व्यापार के सही तरीकों का होना अनुबंध खेती को प्रभावशाली बनाने के लिए अनिवार्य है।

- समझौते के माध्यम से कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए और उत्पाद के लिए एक सुरक्षित बाजार की गारंटी होनी चाहिए
- समझौते किसी 'वस्तु' (object) पर आधारित होना चाहिए, अर्थात् वह उत्पाद, माल या सेवा जिसके बारे में अनुबंध किया गया हो, जिसमें स्पष्ट रूप से सभी पक्षों के कर्तव्यों ('कार्य') का उल्लेख हो
- मौखिक हो या लिखित, सभी अनुबंधों का साफ–साफ दस्तावेजीकरण होना चाहिए
- अनुबंध में शामिल शर्तें, जैसे – उत्पाद की गुणवत्ता, कीमतें, भुगतान, डिलीवरी और विवाद निपटान इत्यादि से जुड़े स्पष्ट दिशा–निर्देश लिखित रूप में होने चाहिए
- मौखिक समझौते के मामले में, एक या एक से अधिक गवाह होने चाहिए, जिनका किसानों और खरीदार के साथ कोई निजी सरोकार/दिलचस्पी न हो।
- अनुबंध को साफ–साफ अक्षरों में लिखना चाहिए और उसे ऐसी भाषा में लिखा जाना चाहिए जो दोनों ही पक्षों के लिए आसान हो
- अगर किसान पढ़ा–लिखा न हो तो अनुबंध में लिखी गई शर्तों को किसी तीसरे पक्ष या व्यक्ति द्वारा जोर–जोर से पढ़ा जाना चाहिए
- अनुबंध की शर्तों को कृषि मौसम की शुरुआत होने से पहले ही तय कर लेना चाहिए
- उपयुक्त सलाह मशवरा किए बिना, किसानों के ऊपर अनुबंध की शर्तों को मानने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए
- एक तयशुदा अवधि के पहले खरीदारों को अनुबंध रद्द करने का अधिकार होना चाहिए
- समझौता होने के बाद किसानों को भी हस्ताक्षर किए हुए अनुबंध की एक प्रति देनी चाहिए
- सभी लेन–देन के मामले में अनुबंध को बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, अर्थात् उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि उत्पाद की मात्रा व गुणवत्ता के मानक क्या होंगे और उन्हें कैसे नापा जाएगा
- किसानों को मिलने वाले लागत सामग्रियों की आपूर्ति के बारे में भी नियमों और शर्तों को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। कीमत निर्धारण का मानदंड, उन्हें जांचने के तरीकों का भी स्पष्ट रूप से जिक्र होना चाहिए

[14] *Adapted from FAO. (2012). Guiding principles for responsible contract farming operations [PDF]. Rome: Food And Agricultural Organisation (FAO). Retrieved 10 September 2017, from http://www.bibme.org/bibliographies/184218052?new=true*

¿ अनुबंध की अवधि और उसे रद्द करने के नियमों का भी अनुबंध में जिक्र होना चाहिए; मतलब एक वाजिब समय अवधि के पहले लिखित में 'अनुबंध समाप्ति नोटिस' (termination notice) भेजने का नियम इत्यादि

¿ मूल्य निर्धारण और भुगतान के तरीके में पारदर्शिता, दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक मूल्य, और दोनों पक्षों को इन शर्तों को सख्ती से पालन करना चाहिए

¿ किसी भी प्रकार की कटौती या शुल्क के बारे में पहले से साफ–साफ बता देना चाहिए जिससे अनुबंध की शर्तों के अनुसार किए जाने वाले भुगतान पर प्रभाव न पड़े

¿ दी जाने वाली लागत सामग्रियां और सेवाओं की कीमत के बारे में भी अनुबंध में पारदर्शिता रखनी चाहिए

¿ अगर कीमतों में बहुत बड़ा अंतर आ रहा हो, तो ऐसे मामलों में अनुबंध के अंदर दुबारा मोल–भाव करने का प्रावधान होना चाहिए

¿ किसानों के लिए प्रस्तावित उत्पादन प्रक्रिया और कटाई के उपरांत इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों के बारे में भी अनुबंध में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यह भी बताया जाना चाहिए कि कौन सा पक्ष उसकी आपूर्ति करेगा और उसकी कीमत क्या होगी

¿ खरीदारों को तय किए गए गुणवत्ता मानकों को सख्ती से पालन करना चाहिए और उन्हें उत्पाद की गुणवत्ता जांचने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना चाहिए; किसान और उनके प्रतिनिधियों का फसल डिलीवरी के समय मौजूद होने का अधिकार होना चाहिए; फसल लेने से मना करने या उसकी गुणवत्ता कम करने की स्थिति में उन्हें किसानों को पूरा स्पष्टीकरण देना चाहिए

¿ अनुबंध में यह भी तय करना चाहिए कि कौन सा पक्ष खेती में लागत सामग्रियों की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा और उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होगी

¿ एक बार जब अनुबंध के अंदर लागत सामग्रियों (जैसे कीटनाशक, खाद, बीज, ऊर्जा, पशु सामग्री, चारा, इत्यादि) को तय कर लिया जाए, तो फसल लगने से पहले ही सभी सामग्रियों का चयन कर लिया जाए और उन्हें खेती शुरू होने से पहले ही किसानों तक पहुंचा दिया जाए

¿ प्राकृतिक या मानव जनित आपदा होने पर अनुबंध में दुबारा बातचीत करने का प्रावधान होना चाहिए और किसी एक पक्ष को ही इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। ऐसी स्थिति में अनुबंध की शर्तों को मानना किसी (किसानों और खरीदारों) के लिए भी संभव नहीं है

¿ आपदा के समय दुबारा बातचीत का आधार खर्च और लाभ का बराबर बंटवारे के सिद्धांत पर होना चाहिए

¿ अनुबंध में कभी भी किसानों को दूसरे किसानों के साथ मिलने के लिए रोकना या हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए; अनुबंध की शर्तों की तुलना करने या किसी समस्या या मुद्दे बारे में पूछ–ताछ की पूरी छूट होनी चाहिए

¿ खरीदारों को कभी भी किसानों के खिलाफ प्रतिशोध वाला या भेदभाव पूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए; भरोसा और आदर–सम्मान बनाए रखने के लिए खरीद प्रक्रिया के समय पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना चाहिए

¿ खरीदारों के लिए जरूरी है कि वे किसानों को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें, जो उत्पाद की रोपाई से लेकर कटाई और डिलीवरी के लिए जरूरी है; और साथ ही उन्हें खरीदने की गारंटी भी देनी चाहिए

¿ किसानों को भी समझौते के साथ किसी भी प्रकार की जालसाजी नहीं करना चाहिए, जैसे – अनुबंध में शामिल उत्पाद का किसी अन्य खरीदार को नहीं बेचना चाहिए। इसी प्रकार अगर बाजार की स्थितियां बदल जाए तो खरीदारों को भी पीछे नहीं हटना चाहिए

¿ दोनों पक्षों के बीच खुली बातचीत बेहद आवश्यक है, क्योंकि बातचीत के अभाव में गलतफहमियां बन सकती हैं। उन्हें एक साथ बैठकर अनुबंध में शामिल पूरी प्रबंधन प्रक्रिया और दोनों पक्षों के कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए

¿ विवाद के मामले में दोनों ही पक्षों को किसी तीसरे और निष्पक्ष व्यक्ति से सहमत हो जाना चाहिए

5. कृषि और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से निवेश के रूप में जो पूंजी का प्रवाह हमारे देश के अंदर होता है उसे 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' (Foreign Direct Investment) या संक्षेप में एफ.डी.आई. कहते हैं।

5.1. कृषि में एफ.डी.आई क्यों?

भारत में कृषि क्षेत्र इस वक्त एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था में तो लगातार विकास हो रहा है, पर कृषि क्षेत्र लगातार मंदी के दौर से गुजर रहा है। यह एक गंभीर समस्या है क्योंकि हमारे देश में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि के ऊपर निर्भर है। इस कृषि संकट से उबरने के लिए और किसान की दशा सुधारने के लिए सरकार के प्रयासों में से एक है कृषि में विदेशी पूंजी के निवेश (एफ-डी-आई) की स्वीकृति।

कृषि में विदेशी निवेश से होने वाले कथित लाभ इस प्रकार हैं :

¿ कृषि और खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा और ग्रामीण आबादी का उससे कल्याण होगा। कृषि में विकास के साथ–साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।

¿ देशभर के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में आधारिक संरचना और भंडारण व्यवस्था का अभाव है। कृषि में विदेशी निवेश से इनका विकास होगा जिससे किसान अपने उत्पादों को बेहतर कीमत में बेच पाएंगे।

¿ विदेशी निवेश से घरेलू निमार्ण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि विदेशी खुदरा व्यापार कंपनियों को कम से कम 30 प्रतिशत का माल स्थानीय छोटे और सूक्ष्म उद्योगों से प्राप्त करना होगा।

¿ विदेशी कंपनियों के लिए न्यूनतम निवेश की सीमा 10 करोड़ अमरीकी डॉलर (करीब 650 करोड़ रुपये) रखी गई है, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत का इस्तेमाल परिवहन, वितरण, भंडारण और पैकेजिंग सुविधा को बेहतर बनाने और कृषि सहयोगी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए खर्च करना होगा।

¿ विदेशी निवेश से भारत में बिचौलियों और दलालों की कहानी खत्म हो जाएगी जिन्होंने दशकों से किसानों को लूटा है। इसके बाद किसानों को उनके उत्पाद का पूरा दाम मिला करेगा।

¿ विदेशी निवेश से परिवहन, पैकेजिंग और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

¿ विदेशी निवेश से तकनीकी हस्तांतरण, बेहतर कामकाजी कौशल, और उच्च उत्पादकता की शुरुआत होगी

¿ ज्यादा निर्यात और राजस्व के साथ–साथ घरेलू निवेश में वृद्धि के लिए, विदेशी निवेश मूल्य संवर्धन और उत्पादन में विविधता के लिए उत्प्रेरक साबित होगा।

5.2. कृषि में विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) का प्रभाव

कई अर्थशास्त्रियों, विद्वानों और व्यापार विशेषज्ञों ने कृषि में विदेशी निवेश की बड़ी आलोचना की है। दुनियां के जिन देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई) को लागू किया गया है वहां के अनुभवों से पता चलता है कि कहीं भी एफ.डी.आई. का स्थानीय विकास के साथ कोई संबंध नहीं है। एफ.डी.आई के आने से स्थानीय स्थितियों में सुधार आया हो ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसके विपरीत जिन देशों में भी एफ.डी. आई. को लागू किया गया है, उन देशों की सामाजिक सुरक्षा, श्रम कानून, और अनिवार्य सेवाओं को इसने बुरी तरह से प्रभावित किया है।

कृषि अर्थव्यवस्था के ऊपर देश की आधी से भी ज्यादा जनसंख्या की आजीविका निर्भर है। विदेशी निवेश के आने से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र जैसे पशुपालन, खुदरा व्यापार, खाद्य सामग्रियों के ऊपर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा होने का डर रहेगा। बड़े पैमाने में भूमि हड़पने या अधिग्रहण की शुरुआत हो सकती है। इससे छोटे और सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर इन विदेशी कंपनियों के शिकंजे में फंस जाएंगे। किसानों की और ज्यादा दुर्गति हो जाएगी, जिससे किसान या तो शहरों की ओर पलायन या हताशा में आत्महत्या करेंगे।

इतनी भारी आलोचना के बाद भी भारत ने करीब–करीब सभी प्रमुख क्षेत्रों (जिसमें कृषि और खुदरा व्यापार भी शामिल है) में एफ.डी.आई. लागू कर दिया है। कई अन्य व्यापार क्षेत्रों को भी एफ.डी.आई. के लिए खोल दिया गया है। कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्रों में तो 100 प्रतिशत तक का विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की छूट है। बागवानी क्षेत्र जैसे चाय, कॉफी, रबर, इलायची, ताड़ का तेल और जैतून का वृक्ष (ओलिव ऑइल) इत्यादि भी विदेशी निवेश की श्रेणी में आते हैं।

काफी समय से भारत का कृषि क्षेत्र विदेशी निवेश को आकर्षित कर रहा था। पिछले 4 सालों में (2013–14 से लेकर 2016–17) कृषि और संबंधित सेवा क्षेत्र में एफ.डी.आई. का प्रवाह करीब 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 1700 करोड़ रुपये) के आसपास रहा।

एफ.डी.आई. में कुछ दोष और खामियां भी हैं, जो इसके पीछे–पीछे हर जगह पहुंच जाती हैं।

- खुदरा विक्रेताओं, फेरी वालों, रेहड़ी पटरी वालों को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वॉल–मार्ट, टेसो, अमेजन, जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन छोटे व्यापारियों का सफाया कर देती हैं
- खर्चों में कटौती करने के लिए अधिकांश उत्पादन इकाइयों को स्वचालित (ऑटोमेटिक) बनाया जाता है, ऐसे में ये कोई नया रोजगार पैदा नहीं करती है
- अधिकांश किसान और खेतिहर मजदूर या तो अनपढ़ हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने के लिए योग्यता इनके पास नहीं है। विदेशी निवेश से हमारे देश का विकास तो होता है पर किसी को रोजगार नहीं मिलता। सारा मुनाफा कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास चला जाता है; आम किसान हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं।
- हालांकि सरकार ने विदेशी कंपनियों के ऊपर यह शर्त रखी है कि कम से कम 30 प्रतिशत माल उन्हें

घरेलू बाजार से लेना होगा पर इसका मतलब यह भी निकलता है कि वे 70 प्रतिशत माल अंतर्राष्ट्रीय बाजार से या अपने देश से लेकर आएंगे। तो ज्यादा विकास किसका हुआ ?

- अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण स्थानीय छोटे विक्रेता कमजोर पड़ जाएंगे और धीरे–धीरे वे प्रतिस्पर्धा से बाहर होते जाएंगे।
- विदेशी ब्रांड सस्ते दामों में उपलब्ध होने के कारण उपभोक्ताओं का झुकाव विदेशी ब्रांड की तरफ होता है। इससे देश के घरेलू ब्रांड बुरी तरह से पिट जाएंगे।
- एफ.डी.आई. के कारण देश का राजस्व विदेशी कंपनियों के पास चला जाएगा। इसका भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

विदेशी कंपनियों का धीरे–धीरे एकाधिकार बन जाएगा और फिर वे किसानों को कम कीमत पर माल बेचने के लिए बाध्य कर सकती हैं।

6. अनुबंध खेती और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे

अनुबंध खेती के बारे में आम धारणा यह है कि इससे बड़े किसानों को ही फायदा पहुंचाता है, यह रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करता है, किसानों को बड़े बाजार तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, और उन्हें नई तकनीकों और आधुनिक खेती के पद्धतियों से अवगत कराता है। परंतु जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। अनुबंधित खेती में शामिल किसान, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान, अभी भी खाद्य सुरक्षा की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अनुबंध खेती से खाद्य सुरक्षा हासिल की जा सकती है?

हमारे यहां छोटे और सीमांत किसानों की भूमिका कृषि उत्पादन में सबसे ज्यादा है, जो जमीन के छोटे–छोटे टुकड़ों में खेती करते हैं। अनुबंध खेती में आते ही ये अपनी पारंपरिक खेती पद्धतियों से दूर हो जाते हैं। पारंपरिक खेती की मदद से वे सबसे पहले अपने परिवार की खपत के लिए खेती करते थे और जो बच जाता था उसे बाजार में बेच कर अपना परिवार चलाते थे।

पर अनुबंध खेती में अक्सर नकदी या विदेशी फसलों के ऊपर जोर दिया जाता है, जो किसानों के खुद की खपत के लिए बिल्कुल नहीं होता है। इन उत्पादों को सीधे कृषि व्यापार कंपनियों को बेच दिया जाता है जो उनका प्रसंस्करण या निर्यात करते हैं।

अनुबंध खेती में शामिल होने वाले बड़े किसान बाजार से अपने लिए खाना खरीद पाने में सक्षम होते हैं। या उनके पास इतनी जमीन होती है कि वे अपने लिए अलग से खेती कर सकें। इसलिए ज्यादातर मामलों में बड़े किसानों के लिए अनुबंध खेती फायदेमंद साबित होती है। दूसरी तरफ छोटे किसानों के लिए यह सब कर पाना संभव नहीं है। अनुबंध खेती में किसानों को अपना समय और सारे संसाधन कंपनी को सौंप देना पड़ता है। किसानों को अपने लिए भी अनाज बाजार से खरीदना पड़ता है। इस तरह अनुबंध खेती के कारण किसानों की निजी खाद्य सुरक्षा पर बुरा असर पड़ता है।

मूल्य संवर्धन से काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। इसलिए कृषि व्यापार कंपनियां मुख्य रूप से नगदी फसलें या विदेशी फसलों की खेती में दिलचस्पी दिखाती हैं। परिणाम स्वरुप, हमारी बुनियादी फसलों को नजरअंदाज किया जाता है। जिन इलाकों में पहले खाद्यान्न होता था वहां अब अनुबंध खेती के माध्यम से नकदी फसलों की खेती होने लगी है। यह सीधे तौर पर खाद्य संकट को बुलावा है।

अनुबंध खेती अगर इसी तरह से चलती रही तो यह छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर देगी। अनुबंध खेती के आलोचकों का कहना है कि मुख्य भोजन उत्पादन करने वाले बड़े इलाकों में अगर अनुबंध खेती होने लगेगी तो जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन पूरी तरह से बाधित हो जाएगा। इससे किसानों का शोषण और बढ़ेगा क्योंकि फिर उन्हें अपने खुद के भोजन के लिए भी बाजार पर निर्भर होना पड़ेगा।

विदेशी और नकदी फसल उगाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ जुड़ने का प्रचलन कई राज्यों में बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जैसे राज्यों में कई कंपनियां मध्य–पूर्व देशों और अमेरिका की कंपनियों के साथ मिलकर केला, अनारस, अंगूर, चावल, गन्ना, और खीरा इत्यादि की

खेती कर रही हैं। इन उत्पादों को सीधे अमेरिका और अन्य मध्य–पूर्व के देशों में निर्यात कर दिया जाता है।

अनुबंध खेती में छोटे किसान अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर की तरह हो जाते हैं, जो फसल की अपेक्षित मात्रा और गुणवत्ता पाने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। वो भी उस फसल के लिए जिसका वे खुद सेवन नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़े स्तर पर अनुबंध खेती करने से देश की इतनी बड़ी आबादी के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता खतरे में पड़ जाएगी।

अनुबंध खेती की बढ़ती हुई लोकप्रियता का गहरा असर न सिर्फ सस्ते और आसानी से उपलब्ध भोजन के ऊपर पड़ रहा है बल्कि पोषण युक्त आहार के ऊपर भी पड़ रहा है। महिलाएं और बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि ये आसानी से कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। एक शोध से पता चलता है कि अनुबंध खेती में कृषि व्यापार कंपनियां केवल एकल फसल ही चाहती हैं। इससे हमारे मुख्य भोजन की फसलों की जगह नकदी फसलों की खेती होने लगी है।

भारत का कृषि परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। अब हमारी हैसियत अधिशेष खाद्य उत्पादक से बदलकर खाद्य निर्यातक की होती जा रही है। साल–दर–साल बंपर उत्पादन के बावजूद भी भारत अब पहले से भी ज्यादा खाद्य का आयात कर रहा है, विशेष रूप से अनिवार्य खाद्य सामग्रियों का, जैसे – गेहूं, मक्का, खाद्य तेल, दलहन और गैर बासमती चावल।

भोजन सामग्रियों के आयात की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में अनिवार्य खाद्य सामग्रियों के आयात में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। गेहूं, मक्का और गैर बासमती चावल जैसे अनाज के ऊपर कुल खर्च 2014–15 में 134 करोड रुपये था, जो 2016–17 में बढ़कर 9009 करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार 2016–17 में भारत ने कुल 5897 करोड़ रुपयों के फल और सब्जियों का आयात किया था।[15] यह सब तब हो रहा है जब हम फलों और सब्जियों का विश्व में सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक हैं। इसी प्रकार खाद्य तेलों का आयात भी 2011–12 में 9,981 हजार टन से बढ़कर 2015–16 में 14,571 हजार टन हो गया है।[16]

सस्ते और अनिवार्य खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता हर किसी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जब उपजाऊ जमीन के बड़े इलाके तेजी से अनुबंध खेती में तब्दील हो रहे हैं तो यह निश्चित है कि छोटे और सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों की खाद्य सुरक्षा पर तो बुरा असर पड़ेगा ही। पर फिर भी कृषि व्यापार कंपनियां किसानों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं और लगातार उन्हें अपने पारंपरिक फसलों को छोड़कर अनुबंध खेती करने के लिए एक से बढ़कर एक प्रलोभन दे रही हैं। इस प्रकार किसान न सिर्फ अपने परिवार की बल्कि भूमिहीन किसानों की भी खाद्य सुरक्षा को दाव पर लगा रहे हैं।

इस स्थिति से निपटने के लिए अगर सरकार ने जल्दी कोई कदम न उठाए तो ग्रामीण इलाके ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों के लिए भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाएगा। अगर अनुबंध खेती की यह स्थिति लंबे समय तक चलती रही तो देश की खाद्य सुरक्षा गहरे संकट में पड़ जाएगी। यह भी हो सकता है कि फिर हमें अपना सारा भोजन दूसरे देशों से खरीदना पड़े।

---

[15] *Singh, Ajeet & Jitendra. (2017). "Rs 1,402,680,000,000 – India's Agrarian Import Bill for 2015-16." The Wire. Retrieved September 16, 2017, from https://thewire.in/157527/india-agrarian-import-bill-2015-2016-farmers/*

[16] *http://www.thehindubusinessline.com/multimedia/dynamic/03081/chart_3081355f.jpg*

अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों से प्राप्त अनुभव ये बताते हैं कि अनुबंध खेती गरीबी और भुखमरी से निपटने के लिए सही मॉडल नहीं है। लंबे समय तक अनुबंध खेती करने से न सिर्फ छोटे किसान तबाह हो जाएंगे बल्कि ये मिट्टी की उर्वरता को भी नष्ट कर देगी। इस भयावह स्थिति से बचने के लिए यह जरूरी है कि देश में कृषि विकास के लिए और ज्यादा सरकारी निवेश किया जाए जिससे गरीब, सीमांत, निर्वाही खेती करने वाले किसान, और भूमिहीन कृषि मजदूरों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके साथ–साथ टिकाऊ खेती के तरीकों को कृषि नीतियों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7. वित्तीय संस्थान और अनुबंध खेती

कृषि विकास में वित्तीय संस्थानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों के लिए जरूरी फंड उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय बैंक, सहकारी बैंक, इत्यादि विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराते आए हैं। ये वित्तीय संस्थाएं चाहे वे सरकारी हों या निजी, अनुबंध खेती में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कृषि उत्पाद श्रृंखला में वित्तीय संस्थानों की भूमिका इस प्रकार है :

क) सीधे ऋण उपलब्ध कराना : बैंक सीधे किसानों को विभिन्न कृषि उत्पादन के लिए ऋण प्रदान करती है

ख) अप्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराना : किसी खरीदार या संयोजक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना

ग) खरीदार की गारंटी पर ऋण उपलब्ध कराना : खरीदार की गारंटी के आधार पर बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये खरीदार उत्पाद के भुगतान के दौरान किसानों द्वारा लिए गए ऋण की रकम को काट कर भुगतान करते हैं। इस तरह का कर्ज गन्ना और दुग्ध उत्पादन में होने वाले अनुबंध खेती में काफी प्रचलित हैं।

7.1. बैंक और अनुबंध खेती

वित्तीय संस्थाएं भी अलग–अलग स्कीमों और योजनाओं के साथ अनुबंध खेती में कूद पड़ी हैं। कंपनियों की आयात और निर्यात से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक मदद कर रहे हैं। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम और कृषि गतिविधियों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी का भुगतान भी बैंकों के माध्यम हो रहे हैं।

7.1.1. अनुबंध खेती योजनाओं के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंक :

अनुबंध खेती के लिए वित्त प्रदान करने वाले बैंकों में प्रमुख हैं – ICICI बैंक, UTI बैंक, IDBI बैंक। निजी बैंकों द्वारा अनुबंध खेती के लिए दिए जा रहे वित्तीय सहायता को ''कॉर्पोरेट संबद्ध कृषि–वित्त (corporate linked agri-finance)'' कहा जा रहा है।

आमतौर पर ये ऋण एक फसल चक्र के लिए दिए जाते हैं, जिसमें एक–दो महीने अतिरिक्त जोड़ दिए जाते हैं ताकि कटाई के बाद किसान अपने उत्पाद को बेच सकें। अधिकांश मामलों में यह अवधि 6 से 8 महीनों की होती है। गन्ना की फसल में इसकी अवधि 18 से 24 महीनों की हो सकती है, जो इसपर निर्भर करता है कि फसल एकसाली है या अधसाली।

मौसम या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर फसल खराब हो जाएं तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

यह मॉडल कुछ विशेष फसलों के लिए काफी कामयाब हैं, जैसे गन्ना, तंबाकू, इत्यादि, जहां तय होता है कि

वह किसी एक संबंधित कंपनी को ही बेचा जाएगा। अनाज की फसलों में ये ज्यादा कामयाब नहीं है, क्योंकि उनमें किसानों द्वारा डिलीवरी न करने का जोखिम रहता है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली कई योजनाएं काफी कामयाब रही हैं और इनमें 5 से 15 प्रतिशत तक उत्पादकता में वृद्धि देखी गई है।

किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों के साथ जुड़ी हुई कंपनियां हैं – रैलिस, एच.एल.एल., कारगिल, चीनी कंपनियां, खीरा कंपनियां, और अपाचि (Apache) जैसी कपास की कंपनियां, तंबाकू मंडल, पेप्सी इत्यादि।

उड़ीसा में इंडियन ओवरसीज बैंक अनुबंध खेती के तहत जतरोफा तेल निकालने के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध करा रही है। बैंक को जैविक इंधन क्षेत्र में भी काफी संभावनाएं दिख रही हैं और वे इन्हें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी विस्तार करने के बारे में बड़ी योजनाएं बना रहा हैं।

तमिलनाडु में स्टेट बैंक ऑफ मैसूर अनुबंध खेती के तहत किसानों को ऋण उपलब्ध करा रहा है। यही बैंक कोयंबतूर आधारित सुगुना पोल्ट्री फॉर्म के साथ जुड़कर मुर्गी पालन में अनुबंध खेती के लिए भी वित्त प्रदान कर रहा है।

ICICI भारत का सबसे पहला निजी बैंक है जिसने अनुबंध खेती में अपनी जगह बनाई है। इस बैंक का हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड और रैलिस के साथ संयुक्त उद्यम (Joint Venture) है जिसके तहत वह उन्हें कृषि योजनाओं के लिए वित्त प्रदान करता है।[17]

ICICI बैंक का अनुबंध खेती में वित्त प्रदान करने का यह उद्यम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जैसे राज्यों में फैला हुआ है। यह बैंक कई कृषि उत्पादों के लिए वित्त प्रदान कर रहा है, जैसे – बासमती चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, कपास, दलहन, फल और सब्जियां।

7.1.2. अनुबंध खेती में नाबार्ड की पहल

'कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक' (नाबार्ड) भारत की सर्वोच्च विकास वित्तीय संस्थान है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए वित्त उपलब्ध कराने के क्षेत्र में कार्यरत है। अनुबंध खेती में नाबार्ड के महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार हैं :

- वित्तीय हस्तक्षेप
- अनुबंध खेती में शामिल किसानों के लिए विशेष पुनःवित्त पैकेज (refinance package)
- भुगतान के लिए 3 साल की अतिरिक्त अवधि की सुविधा
- अनुबंध खेती के अंतर्गत फसलों के लिए ज्यादा वित्त का निर्धारण
- अनुबंध खेती में शामिल किसानों के वित्त प्रदान करने के लिए वित्तीय योजनाओं का विस्तार
- औषधीय और सुगंधित पौधों में अनुबंध खेती के लिए वित्त प्रदान करना

[17] *http://www.business-standard.com/article/finance/banks-bet-big-on-contract-farming-108043001055_1.html*

तालिका 3 : विभिन्न राज्यों में नाबार्ड द्वारा समर्थन प्राप्त अनुबंध खेती की योजनाएं

राज्य / संस्थान	**योजना का नाम**	**योजना का संक्षिप्त विवरण**	**किसान / निजी कंपनी को फायदा**	**राज्य / जिला जहां इसे लागू किया गया है**
1. असम				
हिंदुस्तान पेपर मिल	क्षेत्र विकास योजना	ऊसर भूमि में बांस की खेती	उत्पादन और आमदनी का फायदा	8 जिलों में : कचर हैलाकांडी, करीमगंज, नागांव, कामरूप, मोरीगांव, उदलगुड़ी और दर्रंग
2. बिहार				
i) सर्वोदय कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति	बीज उत्पादन	न्यूनतम 100 रुपए प्रति क्विंटल	समिति को 100 रुपए प्रति क्विंटल	आरा जिला
ii) दून वैली, व्यवसायी आदित्य कुमार के माध्यम से	बासमती चावल	खरीद का आश्वासन	फसल को कंपनी द्वारा प्रस्तावित जैविक पद्धति से उगाया जाता है	मुंगेर जिला
3. छत्तीसगढ़				
MSSL महिंद्रा कृषि विहार		उच्च गुणवत्ता वाले लागत सामग्रियों की आपूर्ति, तकनीकी सलाह, तयशुदा कीमत पर उत्पाद की खरीद	तयशुदा मात्रा और गुणवत्ता का आश्वासन	छत्तीसगढ़
4. हिमाचल प्रदेश				
हिमालयन इंटरनेशनल लिमिटेड	तीन जड़ी बूटियों की खेती	तयशुदा कीमत पर फसल खरीद का आश्वासन	आपूर्ति का आश्वासन	पाओना ब्लॉक, सोलन जिला
5. कर्नाटक				
i) भारती एसोसिएट्स	खीरा प्रसंस्करण	अच्छी कीमत और बाजार का	गुणवत्ता वाले उत्पाद की आपूर्ति का	हसन, कर्नाटक

ii) साईं एग्रो टेक		आश्वासन; 1000 किसानों को फायदा	आश्वासन	कोलार कर्नाटक
6. मध्य प्रदेश				
i) आई.टी.सी. लिमिटेड	सोयाबीन और गेहूं के लिए ई–चौपाल	श्रेष्ठ कृषि पद्धतियों की जानकारी, लागत सामग्रियों की आपूर्ति, मौसम भविष्यवाणी, उत्पाद की मूल्य खोज	आई.टी.सी. को खुद के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सोयाबीन और गेहूं की उचित दाम में उपलब्धता	मध्य प्रदेश
ii) हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड	गेहूं (दुरुम और शरबती)	कृषि लागत सामग्रियों की आपूर्ति	खुद के उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं की उचित दाम में उपलब्धता	मध्य प्रदेश
iii) कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	गेहूं (दुरुम और शरबती)	कृषि लागत सामग्रियों की आपूर्ति	खुद के उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं की उचित दाम में उपलब्धता	मध्य प्रदेश
iv) रैलिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	गेहूं (दुरुम और शरबती)	कृषि लागत सामग्रियों की आपूर्ति	खुद के उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं की उचित दाम में उपलब्धता	मध्य प्रदेश
v) रिलायंस बायो साइंसेज लिमिटेड	सुगंधित तेल (लेमन ग्रास, पॉल्मारोसा, सिट्रोनेला, तुलसी)	व्यापारियों के माध्यम से खरीद; किसानों को कोई सीधा लाभ नहीं	निर्यात के लिए सुगंधित तेल की उपलब्धता	मध्य प्रदेश
7. पंजाब और हरियाणा				
i) टाटा केमिकल्स	टाटा कृषि विकास केंद्र के माध्यम से टाटा किसान संसार	कृषि उत्पादकता एवं आमदनी में वृद्धि	कृषि में मूल्य प्रदान करना; सामुदायिक सेवा; कृषि में संपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना; और स्थाई	टाटा कृषि विकास केंद्र को सुनाम, संगरूर जिला, पंजाब में स्थापित किया गया, जहां

			संबंधों को बढ़ाना; नई पहचान और ब्रेंड का बनना; कंपनी के उत्पाद (खाद और रसायन इत्यादि) की ज्यादा बिक्री से ज्यादा मुनाफा	से इसे पंजाब और हरियाणा के करीब 2700 गांवों में लागू किया गया
ii) वर्धमान के नेतृत्व में उत्तर भारत के कताई मिलों का संघ और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	ग्राम समूह अंगीकरण कार्यक्रम	2002—03 के मुकाबले 2003—04 में कपास की उत्पादकता 4.6 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़कर 9.6 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई, और दूसरी तरफ लागत 7,995 रुपये प्रति एकड़ से घटकर 7,112 रुपये प्रति एकड़ हो गई	उत्पादन में वृद्धि और इस तरह मशीनों और कारखाने का बेहतर उपयोग	पंजाब के भटिंडा और मुक्तसर जिले
8. पश्चिम बंगाल				
फ्रिटोले इंडिया	कम मिठास वाले खास आलू की खेती		किसानों को सही समय और सही मात्रा में कंपनी से सभी लागत सामग्रियों और तकनीकी जानकारियां मिलना, कंपनी को कच्चे माल की आपूर्ति का आश्वासन	पश्चिम बंगाल के हुबली, बर्धमान और मेदिनीपुर (पश्चिम) जिले
9. महाराष्ट्र				
i) टाटा केमिकल्स लिमिटेड	अंगूर — नासिक	निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता का आश्वासन; और 'टाटा ग्रेप्स' के	i) फसल ऋण (रुपये 55,000 प्रति एकड़) की सहज उपलब्धता;	नासिक जिला, महाराष्ट्र

		ब्रांड का नाम	ii) तकनीकी जानकारी और लागत सामग्रियों की उपलब्धता; iii) माल बेचने की समस्या से निपटान;	
ii) एस. एच. केलकर कंपनी का समूह	पचौली / सुगंधरा (एक प्रकार का सुगंधित तेल का पौधा)	i) टिसू कल्चर पौध सामग्री की उपलब्ध्ता; ii) कंपनी द्वारा बाजार की व्यवस्था	आश्वासित गुणवत्ता वाले कच्चे माल की उपलब्धता	रत्नागिरि और सिंधुदुर्ग जिले
iii) शैम्पैन इंडिया लिमिटेड	अंगूर की शराब का उत्पादन	रोपण सामग्री की आसान उपलब्धता (रुपये 65–70 की दर से)	आश्वासित गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आपूर्ति	पूणे जिला में – 2500 एकड़
iv) वेंकटेश्वरा हैचेरीज़ प्राइवेट लिमिटेड	ब्रोइलर खेती	i) तकनीकी जानकारी और बाजार के उत्पाद का आश्वासन; ii) सभी आवर्ती खर्चों का कंपनी द्वारा वहन	आश्वासित उत्पाद की उपलब्ध्ता; कंपनी की निवेश और प्रबंधन खर्च की बचत	मावल ब्लॉक, पूणे जिला; 5000 पक्षियों की 120 इकाइयां

7.2. अनुबंध खेती में वित्त की समस्या

कृषि में वित्तीय व्यवस्था को सुधारने और छोटे किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय संस्थानों को छोटे और सीमांत किसानों के असली मुद्दों की तह तक जाना होगा। अन्यथा कृषि क्षेत्र में उत्पादकों, बैंकों और खरीदारों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी।

वित्तीय संस्थानों के साथ लेनदेन में कृषि उत्पादकों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- भारी जमानत की आवश्यकता : बिना जमानत (बंधक) के बैंक ऋण नहीं देते हैं। किसानों के लिए जमानत का इंतजाम करना एक बड़ी समस्या है।
- अनुपयुक्त उत्पाद : कई बार वित्तीय समस्याओं के कारण किसान अनुबंध खेती शुरू कर देते हैं, यह जानते बूझते कि वह उत्पाद उनके मुख्य भोजन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा।
- जटिल दस्तावेजीकरण : ऋण लेने के लिए बैंकों की कागजी कार्यवाही बहुत जटिल होती है

- छोटे कर्ज में बैंकों की दिलचस्पी नहीं : कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा होने के कारण बैंक अक्सर बहुत छोटे कर्ज में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं।
- अत्यधिक लेनदेन (ट्रांजेक्शन) शुल्क : बैंकों से कर्ज लेने के लिए शुल्क देना पड़ता है जो अक्सर बहुत ज्यादा होता है और गरीब किसानों के लिए इसे दे पाना काफी मुश्किल हो जाता है।
- बैंक किसानों के समूह को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं

किसानों को ऋण देते वक्त बैंकों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे :

- छोटे कृषि ऋण में लेन–देन का खर्च (ट्रांजेक्शन कॉस्ट) ज्यादा होता है, और ये जोखिम से भरा होता है
- कृषि मूल्य श्रृंखला में बाजार के जोखिम बहुत ज्यादा होते हैं
- किसान समूहों / संगठनों के पास पर्याप्त पूंजी और पेशेवर प्रबंधन क्षमता का अभाव होता है
- नवीन उत्पादों के वितरण में कठिनाई

8. भारत में अनुबंध खेती के प्रभाव

अनुबंध खेती के पक्ष में यह तर्क दिया गया है कि इससे कृषि में मूल्य संवर्धन होगा, तकनीकी हस्तांतरण से उत्पादकता बढ़ेगी, छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थानों का अभाव दूर होगा और सबसे महत्वपूर्ण किसानों के जोखिम कम होंगे।

अनुबंध खेती को किसानों के लिए बहुत फायदेमंद बताया जा रहा है, जिसमें किसानों को आमदनी बढ़ जाएगी। परंतु जमीनी हकीकत इन कथित दावों से काफी दूर है। अनुबंध खेती के कारण गंभीर व्यवहारिक समस्याएं सामने आई हैं। इसके प्रतिकूल परिणाम भी देखने को मिले हैं।

भारत में अनुबंध खेती का ढांचा बड़ा लचीला है। इस वजह से किसानों को अक्सर उत्पादन मूल्य का एक बड़ा हिस्सा नहीं मिल पाता है। देर से भुगतान, उत्पादों की फैक्ट्री में वक्त–बेवक्त डिलीवरी, खरीदार का एकाधिकार (monopsony), उत्पाद की गुणवत्ता को कम करके आंकना, उत्पाद लेने से मना कर देना, अंतिम मौके पर कीमत में उछाल, फसल नुकसान, प्राकृतिक आपदाएं, इत्यादि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे किसान हमेशा घिरे रहते हैं।

अनुबंध खेती में यह जरूरी है कि सभी हितधारक न्यायपूर्ण व्यवहार रखें। पर इसे सुनिश्चित करने के लिए सांस्थानिक व्यवस्था का अभाव है। परिणामस्वरूप, अनुबंध खेती के तथाकथित फायदे किसानों तक नहीं पहुंच पाते हैं। अनुबंध में शामिल होने वाली कंपनियां अक्सर बड़े किसानों के साथ काम करना पसंद करती हैं। ये निर्वाही खेती करने वालों या पिछड़े समुदाय के किसानों के साथ दूरी बनाए रखती हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में आर्थिक असमानता और गहरी होती जाती है। खरीदार कंपनियों का सारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के ऊपर होता है। ग्रामीण विकास के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है।

भारत में अनुबंध खेती के प्रभावों से उत्पन्न कुछ गंभीर मुद्दे इस प्रकार हैं :

1. श्रम संबंधित मामले : महिलाएं एवं बच्चे
2. रासायनिक सामग्री एवं पर्यावरण के ऊपर दुष्प्रभाव
3. अनुबंधित विवाद
4. श्रम का शोषण और बिचौलिया एवं दलालों का बोलबाला
5. बड़े किसानों को प्राथमिकता : छोटे किसानों का बहिष्कार
6. अनुबंध खेती की सीमाएं

8.1. श्रम संबंधित मामले : महिलाएं एवं बच्चे

आधुनिक कृषि पद्धति में महिलाओं की एक प्रमुख भूमिका है। इनकी भागीदारी अलग–अलग फसलों के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के रूप में चाय बागवानी में, महिलाएं चाय उत्पादन का आधे से भी ज्यादा काम करती हैं, जैसे – निराई, पानी डालना, ताजी पत्तियां तोड़ना, चुनना, ग्रेडिंग करना, लेबल लगाना और पैक करना। इसी तरह कपास की खेती में महिलाओं को कपास के फूल चुनने, साफ करने,

बीज अलग करने इत्यादि कामों में लगाया जाता है। तिलहन की खेती में, सब्जी उत्पादन, और फूलों की खेती इत्यादि में महिलाओं और बच्चों की भागीदारी 50 प्रतिशत से भी अधिक होती है। इस प्रकार महिलाएं कृषि एवं खाद्य उत्पादन का अहम और अभिन्न हिस्सा होती है।

¿ महिलाएं और अनुबंध खेती

भारत में अनुबंध खेती की स्थिति लगातार और तेजी से बदल रही है। इसमें महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी एक समान नहीं है। अनुबंध खेती में महिलाओं की भूमिका और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, जैसे – निराई, परागण करना, कटाई करना, छंटाई करना, पैक करना, जमाना, डिब्बा बंद करना इत्यादि को ''नाजुक कार्य'' समझा जाता है। कई बार खरीदार अनुबंध खेती में महिलाओं और बच्चों को ज्यादा नियुक्त करते हैं, जिससे खर्चों में कटौती की जा सके। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है। उन पर संगठित न होने की शर्त भी रखी जाती है, जिससे वे सामूहिक मोलभाव न कर सकें। इस प्रकार महिलाओं की स्थिति मजदूरी, भूमि अधिकार, और स्थानीय संगठनों में प्रतिनिधित्व (जहां पुरुषों का वर्चस्व है) के रूप में अत्यंत नुकसानदायक रहती है।

¿ अनुबंध पर हस्ताक्षर

अनुबंध खेती में हमेशा खरीदार और किसानों के बीच एक समझौता होता है। अनुबंध खेती के लिए जहां तक किसानों के चयन का मामला है, कंपनियां हमेशा महिला किसानों के बजाय पुरुष किसानों के साथ अनुबंध करना पसंद करती हैं। भारत में भूमि का मालिकाना हमेशा पुरुषों के पास होता है। इसलिए भी कंपनियां पुरुष किसानों को ही चुनती हैं। कुछ एक मामलों में जहां भूमि का मालिकाना महिलाओं के नाम है वहां भी कंपनियां परिवार के पुरुष सदस्यों को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए ढूंढती हैं। महिलाओं को इसीलिए पसंद नहीं किया जाता क्योंकि अधिकांश मामलों में उनके पास भूमि का मालिकाना अधिकार नहीं होता है और ऋण संस्थानों तक उनकी पहुंच नहीं होती है।

¿ बच्चे और अनुबंध खेती

राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के 2009–10 के सर्वे के अनुसार, 2004–05 में अनुमानित 50 लाख कामकाजी बच्चे थे। इनकी संख्या वर्ष 2009–10 में बढ़कर 91 लाख हो गई। अनुबंध खेती में बच्चों का खुलेआम काम पर लगाया जाता है, क्योंकि वे सस्ते में मिल जाते ओर ज्यादा मोल–भाव नहीं करते। इन बच्चों को बड़ी कठिन स्थितियों में काम करना पड़ता है, उनके काम के घंटे अधिक होते हैं, और उन्हें बड़े मजदूरों की तुलना में कम पैसे दिये जाते हैं।

कपास उत्पादन का बड़ा हिस्सा अनुबंध खेती के माध्यम से होता है। इसमें आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। इन अनुबंधीय खेतों में हजारों महिलाएं और बच्चे प्रतिदिन 10 से 12 घंटे का काम करते हैं, विशेष रूप से छोटी बच्चियां– 6 साल तक की उम्र की। हाथ से अंडकोष निकालने और पार–परागण के लिए खासतौर पर छोटी बच्चियों को नियुक्त किया जाता है।

वर्ष 2006–07 के दौरान करीब 4.14 लाख बच्चे, जिनमें से अधिकांश लड़कियां थी, भारत में कपास

की खेती में काम कर रहे थे। इनमें से आधे से ज्यादा बच्चों की उम्र 14 साल से कम थी। ठेकेदार तो बच्चों को काम पर रखते ही हैं, उनके अलावा भी कई बार बच्चे अपने माता–पिता के साथ कपास के खेतों में काम करते हैं।

कपास के खेतों में बाल मजदूरों को हमेशा न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाता है। इन बच्चों से आम मजदूरों की तरह तो काम लिया जाता है पर उन्हें मजदूरों को मिलने वाली सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। अगर काम करते–करते कोई बीमार हो जाए तो चिकित्सा सहायता देने के बजाय उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। काम रुके न इसलिए बीमार बच्चों के बदले नए बच्चों को रख लिया जाता है। कपास के खेतों में कार्यरत बच्चों को कई खतरों और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनका स्कूल छूट जाता है। हर रोज कई घंटों तक तेज गर्मी और धूप में काम करने की वजह से बच्चों को अक्सर तेज सिर दर्द, कमजोरी, चक्कर आना, और सांस फूलना जैसी बिमारियां घेरे रहती हैं।

8.2. रासायनिक सामग्री एवं पर्यावरण के ऊपर दुष्प्रभाव

खाद्य फसलों के व्यवसायिक उत्पादन में नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटाश का काफी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कीटनाशकों और शाकनाशकों में भी रसायनों का इस्तेमाल होता है। अनुबंध खेती में भी इन रसायनिक पदार्थों का अनियंत्रित इस्तेमाल होता है। कई बार उच्च उत्पादन की लालसा में किसान इनका अत्यधिक इस्तेमाल कर बैठते हैं। रसायनिक खाद के अत्यधिक इस्तेमाल से न सिर्फ मृदा की गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि इसके अंश वाष्पीकरण के माध्यम से हवा में भी मिल जाते हैं और रीस कर भू–जल में मिल जाते हैं।

अनुबंध खेती में इस्तेमाल होने वाले सभी कृषि रसायनों को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में बांटा गया है :

¿ कीटनाशक : फसल को कीटों से बचाने के लिए

¿ फंगस/फफूंद नाशक : फसलों को फफूंद के आक्रमण से बचाने के लिए

¿ शाकनाशी/घास–फूस नाशक : अनचाहे पौधों को मारने के लिए

¿ जैव कीटनाशक : फसल सुरक्षा उत्पाद जिन्हें पौधों, जानवरों और खनिज से बनाया जाता है

¿ अन्य, जैसे धुआंरी/धूमक (fumigant), मूसमार/चूहे मारने की दवा (rodenticide), पौधे विकास नियामक (plant growth regulator) इत्यादि – फसल भंडारण के दौरान कीटों और चूहों के आक्रमण से बचने के लिए; पौधे विकास नियामक (plant growth regulator) का इस्तेमाल पौधों के विकास प्रक्रिया को नियंत्रित या संशोधित करने के लिए होता है।

भारत में कीटनाशक और शाकनाशक रसायनों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन रसायनों का बाजार और उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। कीटनाशक, शाकनाशक, और फफूंदनाशक का इस्तेमाल अनुबंध खेती में भी उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये रसायन मनुष्य, पशुओं और लाभकारी जीवों के लिए काफी नुकसानदायक हैं।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, और पंजाब जैसे राज्य कीटनाशकों के इस्तेमाल में सबसे आगे हैं और यही वे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा अनुबंध खेती हो रही है।

कीटनाशकों और अन्य रसायनों के अनर्गल और अनैतिक इस्तेमाल से कृषि, पर्यावरण और मनुष्य एवं पशुओं के स्वास्थ्य के लिए कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। पिछले कई दशकों में कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से प्राकृतिक परभक्षियों का भी नाश हो गया है, जो प्राकृतिक रूप से फसल को कीटों से बचाते थे। कीटनाशक केवल नुकसानदायक कीटों का ही खात्मा नहीं करते बल्कि उनके संपर्क में आने वाले मित्र कीटों को भी वे खत्म कर देते हैं। उसके साथ–साथ उन अनगिनत सूक्ष्मजीवों को भी खत्म कर देते हैं जो पौधों और मृदा के लिए बेहद परोपकारी हैं।

अंधाधुंध कीटनाशकों के इस्तेमाल से धीरे–धीरे कीटों की प्रजातियों में एक प्रकार की प्रतिरोधी शक्ति का विकास होने लगता है। जो कीट कीटनाशकों के इस्तेमाल के बावजूद भी बच जाते हैं वे आगे ऐसे कीटों को जन्म देते हैं जिनके अंदर उन कीटनाशकों के प्रतिरोध की शक्ति होती है।

- **कृषि रसायनों का अनुबंध खेती के ऊपर प्रभाव :** अपनी आमदनी बढ़ाने की लालसा में किसान कई बार यह नहीं देखते कि इन कीटनाशकों का उनके स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बीमारियां होने पर भी या तो वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं या वे अनुबंध खेती करना बंद कर देते हैं।

  रसायनों और कीटनाशकों से हो रहे नुकसान के बारे में सरकार या खरीदार कंपनियों को कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार लंबे समय में अनुबंध खेती से किसानों और पर्यावरण के ऊपर काफी बुरा असर पड़ता है।

- **पर्यावरण के ऊपर प्रभाव :** कृषि रसायनों के इस्तेमाल से कई खतरे सामने आए हैं :
  - पारिस्थितिकी का विनाश
  - अनुवांशिक क्षरण (genetic erosion)
  - मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा
  - प्राकृतिक कीट भक्षकों के आधार का नाश
  - पशुओं, मछलियों और पक्षियों के लिए खतरा
  - नदियों, तालाबों और समुद्रों जैसे जल स्रोतों का विनाश

प्रकृति और उसके संसाधनों की सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि तुरंत ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे इन रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके।

- **मिट्टी की अवनति :** अनुबंध खेती में भारी मात्रा में बाहरी सामग्रियों की मदद से काफी गहन खेती की जाती है। इस प्रक्रिया में पारंपरिक कृषि तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे मिट्टी के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। मिट्टी की ऊपरी सतह जो सबसे उपजाऊ होती है का मृदा अपरदन, भू–क्षरण (soil erosion), हो जाता है और धीरे–धीरे मिट्टी बंजर होने लगती है। अगर

फसल चक्र को न बदला जाए तो मिट्टी की उर्वरता खत्म हो सकती है और इसके जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं।

8.3. अनुबंध खेती विवाद

अन्य देशों में तो है पर भारत में अनुबंध खेती में विवाद निपटान के लिए कोई निश्चित कानूनी प्रक्रिया नहीं है। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किसानों और कंपनियों दोनों के लिए प्रमुख समस्या है। एक कामयाब अनुबंध खेती के लिए यह आवश्यक है कि दोनों ही पक्ष (कृषि व्यापार कंपनी एवं किसान) अपनी—अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करते रहें।

केवल कंपनी ही नहीं बल्कि किसान भी कभी—कभी अनुबंध की शर्तों का उल्लंधन करते हैं। कई बार वे अपनी फसल खरीदार कंपनी के बदले किसी दूसरे खरीदार को बेच देते हैं। अनुबंध का उल्लंघन कई प्रकार से हो सकता है। किसान फसल के बदले ऋण ले लें और बाद में अपने उत्पाद को किसी अन्य खरीदार को बेच दें; या खरीदार कंपनी से प्राप्त लागत सामग्रियों को किसी दूसरी जगह इस्तेमाल कर लें। यह एक प्रकार का नैतिक जोखिम है, जिसकी वजह से खरीदार कंपनियां किसानों को अग्रिम राशि देने से झिझकती हैं या टालते रहती हैं।

दूसरी तरफ किसानों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कंपनियों द्वारा अनुबंध को समय से पहले निरस्त कर देना, उत्पादक सामग्रियों में हेरफेर, कम तौलना, अनुबंध योजना में कमाई कम बताना, भुगतान न करना, देर से भुगतान करना, बंधुआ मजदूरी, और गुणवत्ता के आधार पर उत्पाद लेने से इंकार करना, इत्यादि।

उड़ीसा में गन्ने की अनुबंध खेती में शामिल किसानों की समस्या : उड़ीसा में किसान गन्ने के उत्पादन में बेहतर आमदनी के लिए अनुबंध खेती के साथ जुड़े हुए हैं। हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि खरीदार कंपनियां कई बार अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करती हैं। अनुबंध में शामिल एक्सटेंशन सेवाओं को कंपनियां प्रदान नहीं कर रही हैं। किसानों को मशीनीकरण और सिंचाई के लिए समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। गन्ना उत्पादन के नपाई में भी कई खामियां मौजूद हैं। कई किसानों ने देर से भुगतान को ले करके अपना गुस्सा भी जाहिर किया।

देर से भुगतान, उत्पाद की गुणवत्ता को कम करके आंकना, कीमत घटा देना, आदि समस्याओं से पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटका के किसान भी जूझ रहे हैं। किसानों ने बताया कि कंपनियां उन्हें बहुत महंगी और कीमती लागत सामग्रियों (जैसे पेटेंट वाले बीज और महंगे कीटनाशक) दे रही हैं, जो एक अलग परेशानी है।

8.4. श्रम का शोषण और बिचौलिया एवं दलालों का बोलबाला

अनुबंध खेती में शामिल उत्पादक शक्तिहीन होते हैं और कंपनियां शक्तिशाली और सुसंबद्ध (well connected)। इनके बीच एक गैर—बराबरी वाला शक्ति संबंध होता है, जिसे हम उत्पादन श्रृंखला के हर एक चरण में देख सकते हैं।

भारत में कृषि उत्पाद की खरीद में आमतौर पर बिचौलिए शामिल होते हैं। इन बिचौलियों का प्रावधान मॉडल

ए.पी.एम.सी. अधिनियम, 2003 के अंतर्गत भी देखा जा सकता है। क्योंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए सभी राज्यों को अपने–अपने यहां ए.पी.एम.सी. अधिनियम के गठन के लिए कहा गया है। यह अधिनियम कहता है कि राज्य को कृषि विपणन ज़ोन या मण्डियों में बांटा जाए, जिसका नियंत्रण नियुक्त की गई एक समिति द्वारा किया जाए, जिसमें लाइसेंसधारी व्यापारी के पास किसानों से उत्पाद खरीदने का अधिकार हो। ये व्यापारी ही बिचौलियों के रूप में कार्य करते थे।

राज्य नियंत्रित ए.पी.एम.सी. मण्डियों के ऊपर धीरे–धीरे दलालों और बिचौलियों का एकाधिकार हो जाता है, जो किसानों को फसलों की कम कीमत देते हैं। फलस्वरुप, किसानों को अपने उत्पाद का कम दाम मिलने लगता है और इस प्रकार उनके श्रम के शोषण होने लगता है।

किसानों के ऊपर मंडराते संकट का एक प्रमुख कारण है उन्हें उनके उत्पाद का उचित दाम न मिलना। भारत के कृषि बाजारों में काफी कमियां हैं। इससे उपभोक्ता जितना भुगतान करता है उसके एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही किसान को मिलता है, सारा मुनाफा बिचौलिये ले जाते हैं। कई इलाकों में आलू, कपास, गन्ना, दालें, प्याज, इत्यादि फसलों में किसानों को कुल मिलाकर नुकसान होता है पर इन फसलों के व्यापारी हमेशा अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुबंध खेती में किसानों के श्रम का भरपूर शोषण होता है। किसान अपनी ही जमीन में खरीदार कंपनी के लिए एक मजदूर बन कर रह जाता है। उसकी मेहनत और फसल का पूरा दाम भी उसे नहीं मिलता है।

अनुबंध में शामिल कंपनियां बाहरी कारणों से होने वाले नुकसान का पूरी तरह से निपटान नहीं करती हैं। प्राकृतिक आपदा या कीटों के आक्रमण या फसल नुकसान, इत्यादि के मामले में किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। यहां तक कि अगर कंपनी से प्राप्त लागत सामग्रियां (जैसे बीज) खराब निकल जाती हैं तो उसका भी नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ता है। इस प्रकार अनुबंध खेती भी किसानों के लिए बहुत जोखिम भरा होता है।

8.5. बड़े किसानों को प्राथमिकताः छोटे किसानों का बहिष्कार

ज्यादा संख्या में छोटे एवं सीमांत किसानों को संभालने के झमेलों से बचने के लिए खरीदार कंपनियां बड़े किसानों को प्राथमिकता देती हैं। छोटे और सीमांत किसानों के साथ काम करने में प्रशासनिक खर्च बढ़ जाता है क्योंकि ऐसे में न सिर्फ कागजी कार्यवाहियां बढ़ जाती हैं पर ज्यादा कर्मचारियों और एक्सटेंशन अधिकारियों की भी जरूरत पड़ती है।

फिर भी, जिन विशेष फसलों में ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है वहां छोटे और सीमांत किसानों के साथ काम करने में कंपनियों का ज्यादा फायदा होता है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में खीरा की खेती में छोटे और बड़े दोनों तरह के किसानों को शामिल किया जाता है। शिक्षा और तकनीकी सलाह ठीक से दी जाए तो छोटे किसान भी सफलतापूर्वक अच्छी खेती कर सकते हैं।

छोटे और सीमांत किसानों के पास मोलभाव की शक्ति बहुत कम होती है। वे छितराए हुए होते हैं और उनमें संगठन का अभाव होता है। इसलिए वे सरकार पर दबाव नहीं डाल पाते हैं। इन्हें महंगी लागत सामग्रियां (जैसे बीज, रसायन और अन्य तकनीकी सलाह) बेचकर कंपनियां दोहरा मुनाफा कमा लेती हैं।

दुनिया भर के देशों में अनुबंध खेती के ऊपर हुए अध्ययन से पता चलता है कि अनुबंध खेती वहीं कामयाब है जहां पहले से ही व्यवसायिक कृषि हो रही है और जहां आधारिक संरचना पहले से ही मौजूद है। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि ठेकेदार कंपनियां अक्सर मध्यम और उच्च श्रेणी के किसानों के साथ ही काम करते हैं, जिनके पास पहले से ही आमदनी के पर्याप्त अवसर होते हैं।

अफ्रीका के छोटे किसानों के बीच अनुबंध खेती के प्रभाव के ऊपर किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि कंपनियां केवल उन छोटे किसानों के साथ हाथ मिलाती हैं जिनका सामाजिक स्तर ऊंचा होता है और जो धनी होते हैं। इस अध्ययन से एक और चौंकाने वाला तथ्य यह था कि अनुबंध खेती में शामिल छोटे किसानों की हैसियत अपनी ही जमीन में खेतीहर मजदूरों जैसी हो जाती है। धीरे–धीरे अपनी ही जमीन पर इनका नियंत्रण कम होते जाता है।

8.6. अनुबंध खेती की सीमाएं

सिद्धांतिक रूप से अनुबंधित खेती में किसानों को फायदा होता है जो उन्हें लेनदेन का खर्च, बाजार की उपलब्धता और जोखिमों के बंटवारे की सुविधा प्रदान करता है। दूसरी तरफ, इससे खरीदार कंपनियों को आश्वस्त आपूर्ति और गुणवत्ता तथा अन्य मानकों के ऊपर नियंत्रण का फायदा मिलता है। परंतु व्यवहारिकता में, कई समस्याएं सामने आती हैं। अक्सर अनुबंध के समझौते मौखिक या अनौपचारिक होते हैं। भारत में तो लिखित अनुबंध होने पर भी कानूनी सुरक्षा का कोई खास प्रावधान नहीं है। अनुबंध की शर्तों को कानूनन लागू किए जाने की व्यवस्था के अभाव में दोनों ही पक्ष कई बार अनुबंध का उल्लंघन कर बैठते हैं। भारत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां किसानों ने कंपनियों को अपना माल बेचने से मना कर दिया है, जहां बाजार की कीमत अनुबंध की कीमत से कहीं ज्यादा है, या फिर कंपनियों ने तयशुदा मात्रा में उत्पाद खरीदने से मना कर दिया है, या तयशुदा कीमत अदा करने से मना कर दिया है। ऐसी स्थितियों में न ही कंपनी और न ही किसान इन मुद्दों को अदालत में लेकर जाते हैं। ज्यादातर समय अनुबंधिय संबंध आपसी समझ और भरोसे के आधार पर बने होते हैं। इस भरोसे और विश्वास को अर्जित करने में कई बार लंबा समय लग जाता है।

9. भारत में अनुबंध खेती का विस्तार

भारत के कृषि जगत में निजी कंपनियों और कारपोरेट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि व्यापार कंपनियों कृषि उत्पादन के हर एक पहलू पर अपनी पकड़ बना रखी है। आज हमारा कृषि परिदृश्य बिलकुल बदल चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी मॉल और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक में बिकने वाले खाद्य और मूल्य संवर्धित उत्पादों का उत्पादन इसी अनुबंध खेती के माध्यम से हजारों किसानों द्वारा किया जा रहा है। अनुबंध खेती आज एक वैकल्पिक बाजार के रूप में उभर चुका है। कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, जैसे राज्य इस नई कृषि 'क्रांति' में सबसे आगे हैं। भारत में अनुबंध खेती के उत्पादों और उनमें शामिल कंपनियों की सूची[18] इस प्रकार है :

तालिका 4 : भारत में अनुबंध खेती के तहत फसलें व उनमें भाामिल कंपनियां

राज्य	फसलें	कंपनियां
कर्नाटक	अश्वगंधा धवन गेंदा और कैपरिका मिर्च पुदीना खीरा औषधीय पौधे	हिमालय हेल्थ केयर लिमिटेड मैसूर एस.एन.सी. ऑयल कं. ए.वी.टी. नेचुरल प्रोडेक्ट्स लि. नेचुरल रेमेडीज़ प्र. लि. 20 निजी कंपनियां सामी लैब्स लि., बंगलौर
महाराष्ट्र	सोयाबीन फल, सब्जियां, अनाज, मसाले और दलहन आलू, गन्ना, नारंगी प्याज	तिन्ना ऑयल्स एंड केमिकल्स ऑयन एक्सचेंज इन्वाइरो फार्म्स लि. महिंद्रा सुलभ कोआपरेटिव सोसाइटीज़ जैन इर्रीगेशन सिसटम्स लि.
मध्य प्रदेश	गेंहू, मक्का और सोयाबीन फल, सब्जियां, अनाज, मसाले और दलहन सोयाबीन सोयाबीन लहसुन और सफेद प्याज	कारगिल इंडिया लि. ऑयन एक्सचेंज इन्वाइरो फार्म्स लि. आई.टी.सी.–आई.बी.डी. महिंद्रा सुलभ गार्लिको इंडस्ट्रीज़ लि.

[18] *http://www.ncap.res.in/contract_%20farming/resources/16.1%20rcajain.pdf*

पंजाब	टमाटर और मिर्च जौ बासमती, मक्का बासमती बासमती, मुंगफली, आलू और टमाटर हरी सब्जियां और विदेशी सब्जियां	निज्जर एग्रो फुड्स लि. यूनाइटेड ब्रुअरीज़ लि. सतनाम ओवरसीज़, सुखजित स्टार्च (महिंद्रा सुलभ सर्विसेज लि.) सतनाम ओवरसीज, डी.डी. अंतरराष्ट्रीय इंकॉर्पोरेशन, अमिरा फुड्स इंडिया लि. (एसकोट्र्स लि. और ग्रेन टेक) पेप्सीको इंडिया लि. पंजाब एग्रो फुड्स पार्क लि.
तमिल नाडु	कपास मक्का, धान कपास पत्थरचूर (कोलियस फोर्सकोली) मक्का, खीरा	सुपर स्पिनिंग मिल्स भुवि केयर प्र. लि. अपाचि कपास कं. — महिंद्रा सुलभ
छत्तीसगढ़	सफेद मूसली टमाटर	लारसन एंड टूबरो बी.ई.सी. कं.
उत्तराखण्ड	ग्वार गम	महिंद्रा सुलभ
हरियाणा	हल्दी, मेंथा, सूर्यमुखी, सफेद मूसली	हाफेड
आंध्र प्रदेश	सफेद वियाग्रा फल, सब्जी और फल खीरा कोकोआ ताड़ का तेल	नंदन फार्म्स प्र. लि. (स्पीयरहेड नेशनल प्रोडक्टस स्विटजरलैण्ड का एस.ए.आर.आई) बागवानी विभाग 1. अडुरि नेचरल प्रोडक्टस 2. ए.सी.ई. एग्रोटेक 3. कॉपरिकोर्न नेचरल प्रोडक्टस; और 4. महेंद्र और महेंद्र कैडबरी इंडिया लि. गोदरेज, पाल्म टेक, एस.आई.सी.ए.एल, सीमापुरी इंडसट्रिज़ और राधिका वेजिटेबल्स ऑयल इंडसट्रिज़
गुजरात	औषधीय पौधों और एलोवेरा का प्रसंस्करण	रिलायंस ग्रुप

उड़िसा	बीज (धान, रागी, चना, मूंगफली, अरहर, तिल, काला तिल और सब्जियों के बीज)	उड़िसा सीड्स प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन
सिक्किम	मसाले नारंगी	हाई आल्टिटूड स्पाईसेज़ राबोंग्ला बल्क कंस्यूमर, सरकारी फल संरक्षण फैक्ट्ररी, सिंगटॅम
केरल	अनारस सफेद मूसली, स्टेविया	एग्रीनको, पाल्लिकुन्नु, कन्नुर हर्ब्स इंडिया, कालिकट
पश्चिम बंगाल	आलू अनारस	फ्रिट्टो इंडिया लि. डाबर इंडिया लि.

10. विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अनुभव

10.1. पंजाब

पंजाब के 22 जिलों में से एक फाजिल्का है, जहां गेहूं, धान, कपास और तिलहन की खेती बड़े पैमाने में होती है। पंजाब भारत के पहले राज्यों में से एक है जहां अनुबंध खेती को लेकर प्रयोग किए गए थे। अब ये पूरे राज्य में फैल चुका है। फाजिल्का में 2000 से भी ज्यादा अनुबंध खेती करने वाले किसान हैं जो धान, कपास, सब्जियां, बासमती धान, इत्यादि की खेती में जुड़े हुए हैं।

फाजिल्का जिले में अबोहर नाम के एक छोटे से कस्बे में 'फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ' ने अनुबंध खेती करने वाले तथा पारंपरिक खेती करने वाले किसानों से बातचीत की। बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे निकल कर सामने आए।

अनुबंध खेती के समझौते

अबोहर भाखरा नहर के अंतिम भाग में स्थित है जहां पानी की बहुत कमी है। यहां के लोग ज्यादातर बारिश और दुर्लभ नहर के पानी पर निर्भर हैं। अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए किसान ट्यूबवेल का भी सहारा लेते हैं। किसानों ने बताया कि उन्होंने अनुबंध खेती की शुरुआत इसलिए की ताकि कटाई के तुरंत बाद उन्हें नकद मिल जाए। किसानों ने बताया कि अनुबंध खेती में जितनी आसानी से सभी चीजों का दावा किया जाता है उतना आसान वे होती नहीं हैं। इसके बाद किसानों ने कंपनियों के लिए फसल उगाने की प्रक्रिया में शामिल अपने संघर्षों का बयान करना शुरू किया।

- यहां अधिकांश अनुबंध खेती के समझौते लिखित नहीं हैं; इनसे संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। कंपनी के अधिकारियों के साथ आमने–सामने बातचीत करके मौखिक रूप से ही समझौता हो जाता है।

- अनुबंध खेती में शामिल किसानों को लागत सामग्रियों और मजदूरों के ऊपर भारी खर्च करना पड़ता है। मजदूरी का ही खर्च एक फसल के दौरान करीब रुपये 4000 प्रति एकड़ आ जाता है। बुवाई और कटाई के दौरान मजदूरों का मिलना भी एक बड़ी समस्या है।

- कंपनी अपने बीजों की कीमत को बढ़ा–चढ़ा कर लगाती है। कभी–कभी तो इनकी कीमत पारंपरिक बीजों से 10 गुना ज्यादा होती है। अनुबंध खेती में हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल होता है जिन्हें अगले साल बीज के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर बार किसानों को कंपनियों से ही बीज खरीदना पड़ता है। बीज का खर्च 15,000 रुपये से लेकर 7000 रुपये प्रति एकड़ तक चला जाता है।

- अनुबंध खेती में जमीन को अलग तरीके से तैयार करना पड़ता है जिसके लिए करीब 1500 से लेकर 1800 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता है। इसके अतिरिक्त एक फसल में कीटनाशकों और खाद का ऊपरी खर्च करीब 4000 से लेकर 6000 रुपये तक पड़ता है।

¿ महंगे कीटनाशक और शाकनाशक का प्रयोग किसानों की एक बड़ी चिंता है। किसानों ने बताया कि बाजार में बहुत सारे नकली कीटनाशक मौजूद हैं और इनकी सही पहचान करना बड़ा मुश्किल है। गलत लेबल लगाना और उस पर गलत कीमत लिख कर हेरा—फेरी करना आजकल बहुत आम है। फसल बचाने के लिए किसानों को मजबूरी में इन कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है।

¿ अनुबंध खेती में शामिल कंपनियां उत्पाद की गुणवत्ता को कम करके आंकती है और फसल का कम दाम लगाती हैं। ग्रेडिंग के दौरान करीब 10 से 20 प्रतिशत माल लेने से मना कर दिया जाता है। बाद में इसी को कंपनी बहुत कम दर पर खरीद लेती है। रद्द हुए माल को बाजार में बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसान इन्हें मजबूरी में औने—पौने दामों में बेच देते हैं।

¿ अनुबंध खेती में शामिल पुराने किसानों ने देर से भुगतान की समस्या के बारे में बताया। उनका कहना था कि शुरुआत के 10—12 सालों तक तो कंपनियों ने नियमित रूप से भुगतान किया पर बाद में वे भुगतान में देर करने लगीं। कई बार तो किसानों को भुगतान कई किश्तों में महीनों के बाद मिलता है। इन्हीं कारणों से कई किसान अनुबंध खेती छोड़कर वापस पारंपरिक खेती की ओर जा रहे हैं।

¿ भुगतान में देरी के कारण किसानों को बैंक या स्थानीय साहूकारों का कर्ज चुकाने में बड़ी समस्या उठानी पड़ती है। अधिकांश किसान बैंक और साहूकार — दोनों से कर्ज लेते हैं। अधिकतर किसानों ने यह भी बताया कि उनकी जमीन के कागज हमेशा गिरवी के रूप में बैंक में ही जमा रहते हैं।

¿ कई बार किसान खुद के ट्रैक्टर, अन्य औजारों, निजी श्रम और परिवार के सदस्यों (जो साल भर खेतों में काम करते हैं) की मेहनत का दाम नहीं जोड़ते हैं। किसानों ने कहा कि अगर वे इन खर्चों को जोड़ने लगे तो वे हमेशा नुकसान में ही रहेंगे।

¿ न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में बिक्री : हांलाकि केंद्र सरकार साल में दो बार रबी और खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, जिसमें गेहूं, धान, तिलहन, कपास, और दलहन आदि शामिल हैं। पर फिर भी किसानों को बाजार में यह दाम नहीं मिलता। साधारण कर्जमाफी के बदले किसान यह चाहते हैं कि उन्हें उनके उत्पाद की सही कीमत मिले जिससे वे अपनी खेती बचा सकें।

इन तमाम मुद्दों से यह साफ हो जाता है कि पंजाब के किसानों की स्थिति बड़ी गंभीर है।

10.2. राजस्थान

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक छोटा सा कस्बा है पीलीबंगा। यहां की आबादी करीब 40,000 है, जिसमें से अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। आमतौर पर यहां बाजरा, गेहूं, कपास, धान और सब्जियां उगाई जाती हैं। गेहूं, जौ, कपास और सब्जियों का इस पूरे इलाके में साल में दो बार अनुबंध खेती की जाती है। सिंचाई के लिए पानी कुंओं और तालाब से आता है। उत्तर पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की मदद से सिंचाई की जाती है।

पीलीबंगा में अनुबंध खेती

पीलीबंगा में सैकड़ों किसान अनुबंध खेती कर रहे हैं। ज्यादातर अनुबंध बीजों के लिए होते हैं – विशेषरूप से गेंहू, धान, कपास, तिलहन, और विभिन्न सब्जियों के लिए। अधिकतर किसानों के पास मध्यम और बड़ी जोत (5 से 15 एकड़) के खेत हैं। कई किसानों ने अनुबंध खेती के लिए बड़ी जमीनों को पट्टे पर ले रखा है।

पीलीबंगा के किसानों की समस्या

क) पीलीबंगा में अनुबंध खेती करने वाले सैकड़ों किसानों में से बहुत कम किसानों ने बताया कि उनके पास लिखित में अनुबंध है। ज्यादातर किसान मौखिक रूप से ही अनुबंध खेती में जुड़े हुए हैं। किसानों ने कहा कि कंपनी उन्हें एक टोकन नंबर देती है जिसके आधार पर वह बाद में उनसे फसल खरीदती है।

ख) श्रम खर्च के मामले में सभी किसानों का यही कहना था कि मजदूरी का भाव बहुत ज्यादा है। एक फसल के दौरान उन्हें मजदूरी के ऊपर करीब 7000 रुपये प्रति एकड़ तक का खर्च आ जाता है। किसानों ने यह भी बताया कि अनुबंध खेती में ज्यादा मात्रा में रासायनिक कीटनाशक एवं खाद डाली जाती है जिससे खर्च काफी बढ़ जाता है।

ग) पीलीबंगा में कुछ किसानों ने अनुबंध खेती के लिए जमीन पट्टे पर ली थी। इसका किराया प्रति बीघा प्रति वर्ष 22000 रुपये आता है (पंजाब में 4 बीघा का 1 एकड़ होता है)। किसानों ने बताया कि राजस्थान एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, यहां पानी बहुत कम है, इसीलिए फसल कई बार खराब हो जाती है। फसल नुकसान होने पर भी किसानों को जमीन का किराया देना पड़ता है। कई बार तो सारा नुकसान उन्हें खुद ही उठाना पड़ता है।

घ) कई किसानों ने कहा कि उन्हें अनुबंध खेती से जुड़ी किसी भी सरकारी योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अधिकांश किसानों के ऊपर बैंक के अलावा स्थानीय साहूकारों का भी कर्ज है।

ङ) किसानों ने बताया कि कंपनी अपने बीजों की कीमत बहुत बढ़ा–चढ़ाकर लगाती है। जहां तक बीज की गुणवत्ता का सवाल है, किसानों का मानना है कि जितना कंपनी दावा करती है उतना उत्पादन उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता। कुछ किसानों ने यह भी कहा कि उनके बीज खराब निकले जिससे उनकी पूरी फसल खराब हो गई। कई किसानों ने तो अनुबंध खेती ही छोड़ दी क्योंकि उन्हें कंपनी से खराब बीज मिल रहे थे।

च) जब किसानों से यह पूछा गया कि क्या वे अनुबंध खेती को जारी रखना चाहते हैं तो कई किसानों ने कहा कि उन्होंने शुरुआत में दो–तीन सालों के लिए अनुबंध खेती की थी पर बाद में बंद कर दिया। केवल कुछ बड़े किसान ही अनुबंध खेती को जारी रखने के लिए इच्छुक दिखाई पड़े। राजस्थान में भी किसानों को देर से भुगतान की समस्या का सामना करना पड़ता है।

छ) जहां तक अनुबंध खेती तथा पारंपरिक खेती के बीच तुलना का सवाल है, किसानों ने महसूस किया कि अनुबंध खेती ज्यादा महंगी होती है क्योंकि कंपनियों की जरूरतों को बड़ी सख्ती से पूरा करना

पड़ता है। महंगे बीज, खाद और कीटनाशकों एवं अन्य रसायनों के कारण खेती की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।

झ) कंपनी की एक्सटेंशन सेवा केवल बीज की आपूर्ति और कंपनी के अधिकारियों के एक या दो दौरे तक ही सीमित रहती है। अधिकतर किसानों को इसके अलावा और किसी भी एक्सटेंशन सेवा के बारे में नहीं पता है। सब्जी उगाने वाले केवल एक किसान ने कहा कि उसे कंपनी के अधिकारियों से व्यापक सलाह एवं जानकारी प्राप्त हुई है।

किसानों द्वारा दी गई जानकारियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुबंध खेती जोखिम भरा और खर्चीला मामला है जिसमें किसानों को फसल खराब होने या उत्पादन कम होने की सूरत में काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

10.3. तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़

गुडालुर तालुक में 'औ—वैली' नाम की एक पंचायत है जहां करीब 30 हजार लोग रहते हैं। यह जगह चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का यह पहाड़ी क्षेत्र निलगिरी जिले में आता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और श्रीलंका के तमिल शरणार्थी यहां मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहते हैं। गुडालुर समुदाय का मुख्य आधार खेती है। छोटे किसानों के बीच चाय उत्पादन आम है। यहां की जलवायु और भूदृश्य चाय उत्पदन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अधिकांश छोटे और मध्यम किसानों के पास खेती के अलावा आजीविका का कोई और साधन उपलब्ध नहीं है। औ—वैली के करीब 88,000 एकड़ भूमि के ऊपर हजारों किसान खेती तो कर रहे हैं पर उनमें से किसी के पास उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं है।

तमिलनाडु में अनुबंध खेती कर रहे किसानों के साथ बैठक

यहां के किसान काफी दबाव में हैं। क्योंकि यहां कृषि उत्पादों की कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं। ये सच है कि औ—वैली की पहाड़ियों में चाय के बागान भरे हुए हैं पर यह भी सच है कि मुनाफा न होने के कारण कई चाय के बागान और छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। बातचीत के दौरान यहां के किसानों ने कई समस्याओं का जिक्र किया :

¿ करीब—करीब सभी छोटे व मध्यम किसानों ने कहा कि अपने भरण—पोशण के लिए वे चाय बागान में अन्य फसलों के साथ मिश्रित खेती करते हैं। कई अन्य किसानों ने तो चाय के पौधों को निकालकर अन्य नकदी फसलों को लगाना शुरू कर दिया है।

¿ चाय की ताजी पत्तियों (जिन्हें स्थानीय भाषा में 'चप्पू' कहा जाता है) को हर 15 दिन में तोड़ा जाता है

और स्थानीय कंपनी को बेच दिया जाता है। कंपनी इन पत्तियों का महीने में एक बार दाम तय करती हैं। ताजी पत्तियों की कीमतें पिछले कई सालों से लगातार गिर रही हैं। इसकी मौजूदा दर 7–9 रुपये प्रति किलो के आसपास है।

नीलगिरी में अनुबंध खेती कर रहे किसानों के साथ बैटक

- ¿ कंपनियों से मिलने वाले इस मौजूदा दर पर चाय की खेती करना अव्यवहारिक हो गया है।
- ¿ दिहाड़ी मजदूरी काफी महंगी होती जा रही है। चुनी गई ताजी पत्तियों की मात्रा इतनी नहीं हो पाती है कि उससे मजदूरों की कीमत निकल सके।
- ¿ इन पत्तियों को फैक्ट्रियों तक पहुंचाने में किसानों को अतिरिक्त खर्च आता है।
- ¿ कई मामलों में तो किसान मजदूरों को अपने आप पत्तियां चुनने और उन्हें किसानों को बेचने की अनुमति दे देते हैं, क्योंकि वे मजदूरों का खर्च (करीब 250–300 प्रति दिन) उठा पाने में सक्षम नहीं है।
- ¿ चाय बागानों में कीटों की मार बहुत आम है। किसानों को अपने पौधों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है।
- ¿ जब उत्पादन सबसे ज्यादा होता है तो कंपनियां एक तय मात्रा से अधिक पत्तियां लेने से मना कर देती हैं। इससे किसानों को काफी नुकसान होता है।
- ¿ जमीन का पट्टा न होने के कारण औ–वैली में किसान सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। उनके साथ गैर–कानूनी या अवैध निवासी के रूप में व्यवहार किया जाता है।
- ¿ पट्टा नहीं होने की वजह से बैंक भी यहां के किसानों को कर्ज देने से मना कर देते हैं।

नीलगिरी के चाय बागान

- ¿ आजकल कुछ बैंक किसान संगठनों या समूहों को कर्ज दे रहे हैं पर उसके लिए वे अनगिनत दस्तावेजों की मांग करते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही लंबी एवं कष्टकर है। कर्ज प्राप्त करने के लिए किसानों को काफी इंतजार करना पड़ता है।

इस प्रकार कई किसानों के साथ बातचीत करके यह स्पष्ट हो गया कि तमिलनाडु में कृषि और किसान समुदायों की स्थिति बड़ी नाजुक है। सरकार को राज्य की कृषि एवं किसानों की दशा सुधारने के लिए तुरंत उचित कदम उठाने चाहिए।

10.4. कर्नाटक, मालेनाडु क्षेत्र

कर्नाटक के मालेनाडु क्षेत्र में रह रहे लोग इन दिनों काफी परेशान हैं। इस क्षेत्र का भू–दृश्य काफी मनमोहक है, जिसका विस्तार पश्चिमी घाट और सहयाद्री पहाड़ श्रृंखला के पश्चिमी एवं उत्तरी ढाल तक है। आजकल यहां एक बड़ा पर्यावरणीय खतरा मंडरा रहा है जिसकी सबसे बड़ी वजह अदरक की अनुबंध खेती है।

यहां के हजारों किसान केरल से आए हैं और अनुबंध खेती के माध्यम से अदरक के उत्पादन में जुड़े हुए हैं। पश्चिमी घाट के हजारों एकड़ में फैला हुआ यह क्षेत्र जहां पहले हरियाली हुआ करती थी अब अदरक की खेतों में बदलती जा रही है। यहां की पूरी जमीन को कुछ सालों के लिए पट्टे पर ले लिया गया है और अदरक की खेती की जा रही है। अदरक का उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और बैक्टीरिया और फफूंद संक्रमण को रोकने के लिए यहां भारी मात्रा में कीटनाशक और रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

'विल्ट' एक बड़ा ही आम फफूंद है जो कई नकदी फसलों के साथ–साथ अदरक को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा अदरक में 'राइजोम रोट' नामक बीमारी भी फैलती है जिससे पूरी फसल खराब हो जाती है। अनुबंध खेती में शामिल किसान कभी भी खेती में नुकसान नहीं उठाना चाहेंगे, इसलिए वे भारी मात्रा में कीटनाशक एवं फफूंदनाशक रसायनों का इस्तेमाल करने लगते हैं।

रसायनिक खाद, कीटनाशक और फफूंदनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी बंजर हो जाती है और अन्य फसलों के लिए किसी काम की नहीं रहती। फसलों के ऊपर रसायनों के अत्यधिक इस्तेमाल से हमारे शरीर, पशुओं और वन्य जीवन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह जल स्रोतों को भी गंदा और प्रदूषित कर देता है। मिट्टी में मौजूद जीवाणु खत्म हो जाते हैं और इस तरह पूरा पर्यावरण तहस–नहस हो जाता है। इन रसायनों और कीटनाशकों के अवशेष मिट्टी और पानी में घुल कर पशुओं और पक्षियों के आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। यह मछलियों और अन्य जलीय जीवाणुओं को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं।

जब तक मालेनाडु क्षेत्र में रसायनों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से किसानों को रोका नहीं जाता, तब तक यह क्षेत्र सर्वनाश की ओर बढ़ता रहेगा।

परिशिष्ट 1

मॉडल अनुबंध
(गुजरात सरकार द्वारा निर्मित)

* **प्रथम पक्ष** (किसान)

नाम : .... आयु : ....

पता : ....

जिन्हें इस समझौते में प्रथम पक्ष के रूप में संबोधित किया गया है (अगर अर्थ या संदर्भ भिन्न या विरुद्ध न हो तो इसमें उनके वारिस, सगे–संबंधी, और संपत्ति–भोगी भी शामिल हैं)

* **द्वितीय पक्ष** (खरीदार) (व्यक्ति / साझेदारी फर्म / लिमिटेड कंपनी / ट्रस्ट / सहकारी समिति / एच.यू.एफ)

नाम : .... आयु : ....

पता : ....

जिन्हें इस समझौते में द्वितीय पक्ष के रूप में संबोधित किया गया है (अगर अर्थ या संदर्भ भिन्न या विरुद्ध न हो तो इसमें उनके वारिस, प्रमोटर, निष्पादक, प्रशासक, और संपत्ति–भोगी भी शामिल हैं)

* **तृतीय पक्ष** (ए.पी.एम.सी या फैसिलिटेटर)

ए.पी.एम.सी का नाम .... जो .... बाजार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जिसका गठन 'गुजरात कृषि उत्पादन विपणन अधिनियम, 1963' के अंतर्गत .... तारीख को किया गया है, जिसे इस समझौते में तृतीय पक्ष के रूप में संबोधित किया गया है (अगर अर्थ या संदर्भ भिन्न या विरुद्ध न हो तो इसमें जिसमें इसके चेयरमैन, सचिव, प्रशासक भी शामिल हैं)

प्रथम पक्ष के पास .... हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व है, जिसका सर्वे नंबर .... है, जो गांव .... तालुक... जिला..................................... में स्थित है। वह / वे द्वितीय पक्ष के लिए .... के उत्पादन में इच्छुक हैं। जिसमें तृतीय पक्ष के रूप में .... ए.पी.एम.सी या फैसिलिटेटर होंगे, जिसमें द्वितीय पक्ष अनुसूची 1 के अनुसार उत्पादन में इच्छुक हैं।

द्वितीय पक्ष के अनुरोध पर पहला पक्ष अनुलग्नक–1 के अनुसार कृषि उत्पादों का उत्पादन करना स्वीकार करता है; और इसलिए तीसरा पक्ष यह स्वीकार करता है कि वह प्रथम और दूसरे पक्ष को जरूरत की सुविधाएं प्रदान करेगा।

हम तीनों अधो–हस्ताक्षरकर्ता यह स्वीकार करते हैं कि सर्वे क्रमांक .... जिसका क्षेत्रफल .... हेक्टेयर है, जो .... गांव में स्थित है, और जो ....मंडी क्षेत्र में आता है, की जमीन पर .... उत्पादों का उत्पादन करेंगे। हम इस समझौते के सभी नियमों और उप–नियमों का पालन करेंगे।

उपस्थित गवाहों के सामने सभी पक्षों के बीच और सभी पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि :

1. प्रथम पक्ष यह स्वीकार करता है कि जमीन की तैयारी, नर्सरी, खाद, कीट प्रबंधन, सिंचाई, कटाई इत्यादि से संबंधित जो भी सुझाव समय–समय पर द्वितीय पक्ष से मिलेंगे उनको प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा और वह अनुसूची–1 में दिए गए मानदंडों के आधार पर खेती और उत्पादन करेगा।
2. प्रथम पक्ष से उत्पाद की डिलीवरी प्राप्त करने के बाद द्वितीय पक्ष अनुसूची–1 में दिए गए बाजार शुल्क का भुगतान तृतीय पक्ष को करेगा। अनुसूची–1 के अनुसार तृतीय पक्ष बाजार शुल्क वसूल करेगा।
3. प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के लिए खेती, उत्पादन और डिलीवरी करेगा और द्वितीय पक्ष अनुसूची–1 में दिए गए मात्रा, गुणवत्ता, और कीमत के अनुसार प्रथम पक्ष से उत्पाद खरीदेगा।
4. अनुसूची–1 में दिए गए विवरण के अनुसार, प्रथम पक्ष .... महीनों/सालों की समय सीमा के अंदर द्वितीय पक्ष को उत्पाद की सप्लाई करेगा। इस समय सीमा की शुरुआत .... तारीख से होगी।
5. सभी पक्ष यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि यह समझौता अनुसूची–1 में दिए गए विवरण के अनुसार कृषि उत्पादन के लिए है, जो .... महीने/साल की समय अवधि के लिए लागू है। उपरोक्त समय सीमा के बाद यह समझौता अपने आप रद्द माना जाएगा।
6. अगर कृषि उत्पाद की गुणवत्ता अनुसूची–1 में दिए गए मानकों के अनुसार न हो तो द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उसे लेने से मना कर दे। इस स्थिति में :

   क) प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से दोबारा कीमत के ऊपर मोल भाव कर सकता है, या

   ख) प्रथम पक्ष अपने उत्पाद को खुले बाजार में बेच सकता है और उससे प्राप्त राशि से प्रथम पक्ष को समझौतों के नियमों के अनुसार द्वितीय पक्ष को भुगतान करना होगा।
7. अगर द्वितीय पक्ष निजी कारणों से उत्पादन खरीदने में विफल होता है या मना करता है तो प्रथम पक्ष के पास यह अधिकार होगा कि वह अपने उत्पाद को खुले बाजार में बेच सके और अगर उसे समझौते में दी गई कीमत से कम कीमत प्राप्त होती है तो द्वितीय पक्ष को एक निर्धारित समय सीमा के अंदर उसकी भरपाई करना होगा।

8. सभी पक्षों के बीच और सभी पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रुप से स्वीकार किया जाता है कि उत्पाद की डिलीवरी को निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा और डिलीवरी प्राप्त करने के बाद द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को प्राप्ती की रसीद देगा।

डिलीवरी की तारीख ....

डिलीवरी का स्थान ....

डिलीवरी का खर्च ....

9. इसके साथ–साथ यह भी सहमति है कि तय किए गए डिलीवरी स्थान से उत्पाद को अपने कब्जे में लेने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। अगर उत्पाद तैयार होने के बाद .... समय के अंदर द्वितीय पक्ष डिलीवरी नहीं लेता है तो प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपने कृषि उत्पाद को निम्नलिखित तरीके से बेच सके :

   क) खुले बाजार में (थोक खरीदार जैसे निर्यातक / प्रसंस्करण करने वाला / निर्माता इत्यादि को) और उससे प्राप्त भुगतान से प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को उसके द्वारा किए गए निवेश के अनुपात में भुगतान करेगा।

10. सभी पक्षों के बीच यह भी सहमति है कि पारवहन के दौरान उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की है और प्रथम पक्ष इसके लिए जवाबदेह नहीं होगा।

11. फसल कटाई के बाद प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को फसल की डिलीवरी करेगा जिसके बाद द्वितीय पक्ष अनुसूची–1 में दिए गए कीमत / दर के अनुसार प्रथम पक्ष को दी गई सभी अग्रिम राशि को काटकर भुगतान करेगा।

12. भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा :

भुगतान की तारीख ....

भुगतान का तरीका ....

भुगतान का स्थान ....

13. फसल कटाई के बाद जब उसे द्वितीय पक्ष को सौंप दिया जाए तो द्वितीय पक्ष को अनुबंध के नियमों और उप–नियमों के हिसाब से बाजार शुल्क का भुगतान तृतीय पक्ष को करना होगा।

14. द्वितीय पक्ष या उसके प्रतिनिधि यह स्वीकार करते हैं कि समझौते की अवधि के दौरान प्रथम पक्ष द्वारा बताए / बनाए गए किसान मंच के साथ लगातार बातचीत करते रहेंगे। द्वितीय पक्ष या उसके प्रतिनिधियों को उनके खर्च पर प्रथम पक्ष के खेतों में प्रवेश करने का अधिकार होगा जिससे वे खेती के तरीकों और उत्पाद की गुणवत्ता के ऊपर समय–समय पर निगरानी रख सकें।

15. समझौते में शामिल सभी पक्ष इसके साथ अनुसूची–1 में दिए गए उत्पाद का ....महीने की अवधि के लिए बीमा करना स्वीकार करते हैं, जिससे – ईश्वर के कृत्य, निर्दिष्ट संपत्ति का नुकसान, कर्ज न चुका पाना, उत्पादन या आमदनी का नुकसान, पक्षों के नियंत्रण से बाहर की कोई

भी घटना या कार्य जैसे – किसी गंभीर बीमारी, महामारी या असामान्य मौसम स्थिति, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, चक्रवात, भूकंप, आग, या अन्य आपदा, सरकार के युद्ध कृतियों के कारण होने वाले नुकसान, इत्यादि से सुरक्षण मिल सके जो इस समझौते की तारीख से पहले या उसके बाद घटित हो, जो किसानों को अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने से आंशिक या पूरी तरह से बाधित करता हो।

इसके लिए प्रथम पक्ष को सबूत के रूप में उपयुक्त दस्तावेज संबंधित सरकारी विभाग से प्राप्त करके बोर्ड में जमा कराना होगा। अगर इस प्रकार का कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता हो तो प्रथम पक्ष को बोर्ड के सामने उसका औचित्य सिद्ध करना होगा और उपयुक्त सबूत/कारण दिखाकर यह साबित करना होगा कि क्यों कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया जा सका।

विकल्प के रूप में, सभी पक्षों के बीच अगर आपसी सहमति हो तो प्रथम पक्ष अन्य स्रोत से अपने हिस्से की फसल प्राप्त कर सकता है। इसके चलते होने वाले नुकसान का दोनों – प्रथम और द्वितीय पक्ष आपस में बराबर बांट सकते हैं। बीमा कंपनी से प्राप्त राशि को भी दोनों ही पक्ष बराबर अनुपात में बाटेंगे।

16. फसल उत्पादन और कटाई उपरांत प्रबंधन के दौरान द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करना स्वीकार करता है :

    1.

    2.

    3.

    4.

17. इस समझौते की अवधि के दौरान प्रथम पक्ष की संपत्ति, भूमि पर कब्जा, स्वामित्व के ऊपर द्वितीय पक्ष का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा, न ही वह प्रथम पक्ष को अपनी भूमि से संपत्ति से अलग कर सकेगा, विशेष रूप से गिरवी, भूमि पट्टा, उप–पट्टा के जरिए, न ही उस भूमि संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान के नाम हस्तांतरित कर पाएगा।

18. द्वितीय पक्ष चाहे तो भंडारण एवं वितरण के लिए अपना खुद का भंडारण अहाता बना सकता है, जिसका स्वामित्व द्वितीय पक्ष के पास ही रहेगा। हालांकि इस सुविधा का नियंत्रण ए.पी.एम.सी. (अर्थात् तृतीय पक्ष) के पास रहेगा और इसे उसके उप–भंडारण अहाता के रूप में माना जाएगा।

19. अनुबंधन का संशोधन, विघटन, समाप्ति, रद्दीकरण सभी पक्षों की सहमति से होगा। ऐसे संशोधन, विघटन, समाप्ति, रद्दीकरण की सूचना पंजीकरण प्राधिकरण को 15 दिनों के अंदर देना होगा।

20. इसके साथ द्वितीय पक्ष यह स्वीकार करता है कि सरकारी रिजोल्यूशन क्रमांक............................... दिनांक .... के अनुसार वह इस समझौते की मूल प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

21. पक्षों के बीच मतभेद या विवाद के मामले में, अनुबंध में दिए गए अधिकार और कर्तव्य के बारे में, या

किसी एक पक्ष का दूसरे से कोई दावा (मौद्रिक या अन्यथा), या समझौते में दिए गए शब्दों और नियमों को समझने और लागू करने से जुड़े विवाद और मतभेद के मामले में सरकार द्वारा गठित मध्यस्ता प्राधिकरण को संदर्भित किया जाएगा, जिसे सरकारी रिजोल्यूशन क्रमांक .... दिनांक .... के अनुसार गठित किया गया हो।

22. इस समझौते में शामिल किसी भी पक्ष का पता अगर बदल जाए तो अन्य पक्षों और पंजीकरण प्राधिकरण को 7 दिनों के अंदर सूचित करना होगा।

23. इसी के साथ प्रत्येक पक्ष एक दूसरे के साथ इस समझौते में दिए गए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन पूरी तत्परता और लगन से करेंगे, और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे के हित को नुकसान पहुंचे।

गवाहों की मौजूदगी में ये पक्ष इस अनुबंध पर दिनांक .... को हस्ताक्षर करते हैं।

गवाह 1. .... और गवाह 2. .... की मौजूदगी में प्रथम पक्ष .... द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित।

गवाह 1. .... और गवाह 2. .... की मौजूदगी में द्वितीय पक्ष .... द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित।

गवाह 1. .... और गवाह 2. .... की मौजूदगी में तृतीय पक्ष .... द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित।

संदर्भ सूचि

1. *Situation Assessment Survey of Agricultural Households, 2013; http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/KI_70_33_19dec14.pdf*
2. *Ajit Kumar Jha, "No country for farmers: In headlong rush towards development, Indian farmers fall through the cracks" India Today. June 1, 2017; http://indiatoday.intoday.in/story/farmer-loans-waive-state-governments-economic-consequences-gdp/1/967992.html*
3. *McMichael, Philip. (2006). "Peasant Prospects in the Neoliberal Age," New Political Economy. Vol. 11, No. 33, September 2006. Rutledge – Taylor & Francis; https://devsoc.cals.cornell.edu/sites/devsoc.cals.cornell.edu/files/ shared/documents/Peasant-Prospects-NPE-06-pdf.pdf*
4. *Aerthayil, Mathew; Agrarian Crisis in India is a Creation of the Policy of Globalisation; mainstream Weekly; Vol XLVI, No 13, (March 16, 2008)*
5. *Roma; Land Reforms Policy: A Shift in Paradigm – Causes and Consequences; Contract Farming and Tenancy Reforms; Ch 3; (2008)*
6. *Nadkarni M.V. (1993). "AGRICULTURAL POLICY IN INDIA: Context, Issues and Instruments." Department of Economic Analysis and Policy, Reserve Bank of India. Bombay.*
7. *Indian Economic Service – Arthapedia; http://www.arthapedia.in/index.php?title=Agricultural_Pr oduce_Market_Committee_(APMC)#ref*
8. *The government of India – National agricultural Market; http://www.enam.gov.in/NAM/home/ about_nam.html#*
9. *Punjab Contract Farming Act, 2013. Punjab Govt. Gazette (Extra) 16 April, 2013. https://foodprocessingindia.co.in/state_pdf/the_Punjab_Contract_Farming_Act_2013.pdf*
10. *Singh, S. (2013). "Regulating Contract Farming: The Punjab Way." The Tribune [Chandigarh Edition]. 8 July 2013. Retrieved 21 September, 2017 from http://www.tribuneindia.com/2013/20130708/edit.htm#6*
11. *Singh, Sukhpal. (2005). "Contract farming for Agricultural development: Review of theory and practice with special reference to India". Centre for Trade and Development, Oxfam. New Delhi. Retrieved 6 September 2017. http://www.esocialsciences.org/Download/repecDownload.aspx?fname=Document111112005460.7734186.pdf&fcategory=Articles&AId=246&fref=repec*
12. *Singh, Rakesh and Bhagar, Kapil, New Initiatives in Indian Agriculture (December 26, 2013); https://ssrn.com/abstract=2372011 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2372011*
13. *Rani, B.N Shoja. "Globalisation and Contract Farming in India – Advantages and Problems"; http://dspace.iimk.ac.in/bitstream/handle/2259/51/637-647%2B.pdf?sequence=1&isAllowed=y*
14. *Deshpande C.S. (2005), "Contracting Farming As Means of Value-added Agriculture," Department of Economic Analysis and Research, National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai.*
15. *Faizi, A. A., & Shah, T. M. (2015). Contract farming: protecting interests of small and marginal farmers in India (1st Edition ed.). Mussoorie, UK, India: Centre for Rural Studies, LBS National Academy of Administration in association with Manak Publications Pvt. Ltd., New Delhi.*
16. *Rajmanohar, T. P., & Kumaravel, K. S. (2006). Contract farming in India: an introduction. Hyderabad, India: ICFAI University Press.*
17. *Singh, S. (2005). Contract farming for agricultural development: review of theory and practice with special reference to India. New Delhi: Centre for Trade and Development.*
18. *Glover, D. J., & Kusterer, K. C. (1990). Small farmers, big business: contract farming and rural development. London: Macmillan.*
19. *Feed the World. (2011)."Contract Farming Model". Retrieved September 07, 2017, from http://agtech.partneringfor innovation.org/*
20. *Mudhara, M., & Kwaramba, P. (2002). Marketing through contracts and sub-contracts by smallholder farmers of Zimbabwe. Retrieved September 08, 2017, from http://library.fes.de/fulltext/bueros/simbabwe/01175004.htm*
21. *Dillivan, K. (2013, August 21). Agricultural Contracts For Crops. Retrieved September 07, 2017, from http://igrow.org/agronomy/profit-tips/agricultural-contracts-for-crops/*
22. *Da Silva, C. A. (2005, July). The Growing Role of Contract Farming in Agri-Food Systems Development: Drivers, Theory and Practice [PDF]. Rome: Food and Agricultural Organisation (FAO). Retrieved September 07, 2017, from http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/AGSF_WD_9.pdf*
23. *USDA. Contracting in Agriculture: Making the Right Decision. [PDF]. Retrieved September 08, 2017, from https://www.gipsa.usda.gov/psp/publication/AMS_contracting/contracting.pdf*
24. *Fraser, A. (2012, December 14). "Four ways to help 'contract farming' benefit the very poor." Christian Science Monitor. Retrieved*

September 13, 2017, from https://www.csmonitor.com/World/Making-a-difference/Change-Agent/2012/1214/Four-ways-to-help-contract-farming-benefit-the-very-poor

25. *Caterina Pultrone; "An Overview of Contract Farming: Legal Issues and Challenges," Uniform Law Review, Volume 17, Issue 1-2, 1 June 2012, Pages 263–289, https://doi.org/10.1093/ulr/17.1-2.263*
26. *UNIDROIT, FAO and IFAD. (2015). UNIDROIT/FAO/IFAD "Legal Guide on Contract Farming." Rome. Retrieved 10 September 2017 from http://www.fao.org/3/a-i4756e.pdf*
27. *M., Roy. & Kumar, S. (2012, March 17-18). Foreign Direct Investment in Agricultural Retailing in India [PDF]. Bangkok: International Conference on Humanities, Economics and Geography. Retrieved 13 September 2017 from http://psrcentre.org/images/extraimages/3.%20312120.pdf*
28. *RBI. (n.d.). Foreign Direct Investment Flows to India. Retrieved September 14, 2017, from https://www.rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=2513*
29. *FDI Statistics. (n.d.). Department of industrial policy and promotion,(2014). Retrieved 13 September 2017 from http://dipp.nic.in/English/Publications/FDI_Statistics/2014/india_FDI_January2014.pdf*
30. *Kumar, D. (2016). "We need to ensure that Small farmers retain complete Control over their land and Farming." [Interview]. Governance Today. August 2016. Retrieved 12 September 2017 from http://indiafdiwatch.org/wp-content/uploads/2016/08/DHARMENDRA-KUMAR-INTERVIEW.pdf*
31. *Kumar, S. (2014). Foreign Direct Investment in Indian Agricultural Sector: Opportunities and Challenges (October-November, 2014)-1 Socio-economic voices. Retrieved 13 September 2017 from https://www.indiastat.com/SOCIO_PDF/ 109/fulltext.pdf*
32. *AVSF. (2014, March). "Can contract farming contribute to reinforcing peasant farming and food sovereignty of populations of the South?" C2A Notes. Retrieved September 19, 2017, from https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/C2A-Notes-n%C2%B016-Contract-farming.pdf*
33. *Kurtis, M., & Campbell, K. (2014, July 31). "Sowing The Seeds Of Success: The Case For Public Investment In African Smallholder Agriculture." [PDF]. Washington: ActionAid USA. Retrieved September 19, 2017 from http://www.actionaidusa.org/sites/files/actionaid/aa_sowing_seeds.pdf*
34. *Pandey, Tushar. Contracting and Agricultural Finance for Small Holders-Hi-Tech Farming and a Case for Public-Private Partnerships; http://www.ncap.res.in/contract_%20farming/Resources/13.1%20Tushar%20Pandey.pdf*
35. *Gulati, A., Joshi, P., & Landes, M. (2006). Contract Farming in India: An Introduction. In Contract Farming In India - An Introduction (pp. 1-5). Agartala, Tripura: ICFAI University Press. Retrieved September 23, 2017, from http://www.ncap.res.in/contract_%20farming/Resources/1.Introduction.pdf*
36. *ILPI. (2015). Child Labour in the Indian Cottonseed Sector. International Law and Policy Institute. Oslo, Norway. Retrieved September 23, 2017, from http://www.indianet.nl/pdf/ChildLabourInTheIndianCottonseedSector-ILPI-2015.pdf*
37. *Nagrajan, K. (2015) The Plight of Cottonseed Workers Reveals Why Child Labour Persists.The Wire. September 2, 2015. Retrieved September 23, 2017, from https://thewire.in/9762/the-plight-of-cottonseed-workers-reveals-why-child-labour-persists/*
38. *Singh, Aditya, (2010). The Indian Farmer, Middlemen and the APMCs. SSRN (October 18, 2010). Retrieved September 23, 2017, from SSRN: https://ssrn.com/abstract=1694096 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1694096*
39. *USDA. (2016). "Farm Management Practices: Chemical Inputs." United States Department of Agriculture - Economic Research Service. 22 August 2016. Retrieved September 22, 2017, from https://www.ers.usda.gov/topics/farm-practices-management/*
40. *M. Nancy, Trautmann., et. Al.(2012). "Modern Agriculture: Its Effects on the Environment." PMEP Pesticide Safety Education Program (PSEP). Retrieved September 22, 2017, from http://psep.cce.cornell.edu/facts-slides-self/facts/mod-ag-grw85.aspx*
41. *A Study in Odisha." Global Journal of Science Frontier Research: D Agriculture and Veterinary. Volume 15 Issue 4 Version 1.0. 2015 . International Research Journal. Global Journals Inc. (USA). Retrieved September 23, 2017, from http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/*
42. *DARE/ICAR ANNUAL REPORT 2003–2004 – women in agriculture. Retrieved September 23, 2017, from http://www.icar.org.in/files/ar0304/12-WOMEN%20IN%20AGRICULTURE.pdf*
43. *Singh, S. (2003). Contract Farming in India: Impacts on Women and Child Workers. International Institute for Environment and Development. Gatekeeper Series. No.111. Retrieved September 23, from http://pubs.iied.org/pdfs/9281IIED.pdf*
44. *Singh, S. (2005). Political economy of contract farming in India. New Delhi: Allied Pub.*
45. *GoI. (2015). Indian Labour Year Book 2011 and 2012. Government of India-Ministry of Labour And Employment - Labour Bureau. Shimla, Chandigarh. Retrieved September 24, 2017 from http://labourbureau.nic.in/ILYB_2011_2012.pdf*
46. *http://ficci.in/spdocument/20662/Agrochemicals-Knowledge-report.pdf*

FOCUS ON THE GLOBAL SOUTH

फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ

फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ, एशिया (थाईलैंड, फिलीपीन्स एवं भारत) में स्थित एक नीति शोध संगठन है। फोकस भारत एवं विश्व के दक्षिण भाग (यानी विकासशील देशों) में वैश्वीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और इस प्रक्रिया में अंतर्निहित प्रमुख संस्थाओं के बारे में शोध तथा विश्लेषण प्रदान कर सामाजिक आंदोलनों एवं समुदायों की सहायता करता है। फोकस के लक्ष्य दमनकारी आर्थिक एवं राजनीतिक संरचनाओं की समाप्ति, स्वतंत्र संरचनाओं तथा संस्थाओं का निर्माण, विसैन्यीकरण और शांति को बढ़ावा देना है।

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA

रोज़ा लक्जमबर्ग स्टिफटुंग (आर.एल.एस.)

रोज़ा लक्जमबर्ग स्टिफटुंग (आर.एल.एस.) जर्मनी में स्थित एक फाउंडेशन है, जो दक्षिण एशिया की तरह ही विश्व के अन्य भागों में महत्वपूर्ण सामाजिक विश्लेषण और नागरिक शिक्षा के विषयों पर कार्य कर रहा है। यह एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य समाज एवं नीति निर्धारकों के सामने वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। यह शोध संगठनों, स्व–मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाले समूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उन मॉडल्स के विकास में उनकी पहलों में मदद देता है, जिनमें अत्यधिक सामाजिक एवं आर्थिक न्याय देने की क्षमता है।